[Mr. Deputy Chairman]

चेयर की पोज़िशन यह है कि इसके साथ ऑलरेडी सेलेक्ट कमेटी में जाने के लिए तीन अमेंडमेंट्स हैं। अगर आप सब म्युकुचुअल चीज़ें तय करते हों, तो चयेर के लिए बहुत प्रसन्नता की बात होगी, अदरवाइज़ आप डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे और उस पर हाउस का जो भी निर्णय होगा, चेयर उसके अनुसार जाएगी, यही स्थिति है।

Now, I move to Legislative Business. Shrimati Nirmala Sitharaman to move for leave to introduce a Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

GOVERNMENT BILLS

The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2019

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN) : Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

Sir, if you just permit me to say a few words to underline the importance as to why we would like the House to consider this Bill now...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Bill is for introduction.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I know it is at the stage of introduction. I know it is not being considered. At the introduction stage, I wanted to say a few words. If it is not permitted, I am not saying.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When it will come for consideration, then you may speak.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: All right, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: 'The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019', जिस बिल पर बहस चल रही थी, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। श्री विवेक के. तन्खा।

The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019*

श्री विवेक के. तन्खा (मध्य प्रदेश) : महोदय, मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। उसका कारण यह है कि करीब 25-30 साल से मैंने बच्चों के rights को लेकर

*Further discussion continue from the 23rd July, 2019.

काफी काम किया है। हमारा एक ग्रुप है, we are runnig schools for special children. We have about five schools having 700-800 children. इस कारण मुझे बच्चों के कई पहलुओं को देखने का मौका मिला कि किस तरह से बच्चों का exploitation होता है, किस तरह बच्चों का use किया जाता है और किस तरह बच्चों के साथ क्राइम होते हैं। 2012 में जब यह parent Act आया था, वह United Nations का initiative था - 11 दिसम्बर, 1992 को in the U.N. Convention on rights of the child, India ratified the Resolution to undertake all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent child crime and child exploitation, and specially three points were outlined at that time. The first one is, inducement or coercion of a child to engage in unlawful sexual activity. The second is exploitative use of children in prostitution or unlawful sexual practices. The third is exploitative use of children in pornography performances and matters. ये तीनों ही सोसायटी के लिए we can say, ऐसे कृत्य हैं, जिन्हें कोई tolerate नहीं कर सकता। मैंने NCRB का रिकॉर्ड भी चैक किया है। NCRB means National Crime Records Bureau. In 2005-15, 1,08,054 cases of rape of children under Section 4-6 of this Act had been reported. 2016 में जो 10,000 figure थी, it rose to 19,765 — मतलब nearly a hunndred per cent rise. बड़े अफसोस की बात है कि 2016 के बाद NCRB ने इस विषय पर कोई फिगर्स नहीं दीं। इस संबंध में देश कोई जानकारी नहीं है कि 2016 के बाद कितने बच्चे affected हुए और कितने बच्चों को redressal मिला। अगर ये फिगर्स हमारे पास होते, देश के पास होते तो हो सकता है कि आज आपके बिल में दूसरी बहुत सी तब्दीलियां आ सकती थीं, जैसा वे figures dictate करते। State-wise figures भी मैंने देखे। वे भी 2016 तक की फिगर्स हैं। For instance, in Haryana, in 2015 में 224 child sexual assault victims बताए गए और 2016 में 532. That means a hundred per cent jump. कश्मीर के बारे में बोला गया गया कि- In 2015, there was zero reportage and in 2016 there were 21 cases. मैं विश्वास नहीं कर सकता कि किसी भी स्टेट में zero reportege होगा। लगता है कि वहां reporting ही नहीं हुई है,...**(व्यवधान)**... Zero is no reporting! I can't imagine कि जो हमारा इतना बड़ा Act है, जो various stages पर exploitation को deal करता है, आप कहते हैं कि कई स्टेट्स में कुछ हुआ ही नहीं, 2016 के बाद आपने बताना ही बंद कर दिया। I think यह नेशन की knowledge के साथ, country की knowledge के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि बच्चों का issue काफी बड़ा है। अगर हम अपने बच्चों के बारे में ठीक से नहीं सोच पाएंगे, तो हम किसके बारे में सोचेंगे? वे तो देश के भविष्य होते हैं।

जहां तक आपके अमेंडमेंट्स का सवाल है। Frankly speaking, आपके अमेंडमेंट्स को कोई अपोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने खाली सजा को और सख्त किया है। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यह होना भी चाहिए था। This was the need of the hour. आपने जिन सेक्शन्स में अमेंडमेंट किए हैं, मैं उनके बारे में जिक्र करता हूं। आपने सेक्शन (4) अमेंड किया। पहले सेक्शन (4) में साल साल से लेकर लाइफ तक का imprisonment था for penetrative sexual

[श्री विवेक के. तन्खा]

assault, आपने अब उसको कह दिया, not less than 20 years. that is what life imprisonment is commonly called, or, up to remainder of life; which means आप अपनी जिंदगी में बाहर नहीं आएंगे। देश में life imprisonment के बारे में commonly प्रचलित है कि अगर आप life imprisonment कहते हैं, तो लोग सोचते हैं कि 14 साल में बाहर आ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि life imprisonment का मतलब है 20 साल। इसमें इसके बारे में एक प्रकार से clarification है कि life means rest of your life. आपने ऐसा गंदा कृत्य किया है कि अब आप अपना पूरा जीवन जेल में बताएंगे।

इसी तरह सेक्शन (5) को भी अमेंड किया है, जहां policemen are involved. Now, I would always say that involvement of policemen in this crime is even worse. देखिए, सोसाइटी पुलिस को as protector देखती है। आज दो ही तो प्लेस हैं, जहां आदमी प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हैं, या तो पुलिस स्टेशन जा सकता है या कोर्ट जा सकता है। अगर हमको पुलिस स्टेशन जाने में डर लगे और fact यह है कि इस देश में एक सामान्य नागरिक पुलिस स्टेशन में जाने से डरता है। उसको यह नहीं पता है कि उसके साथ वहां पर किस प्रकार का conduct होगा, किस प्रकार से उसके ट्रीट करेंगे। I am not saying that वह every time कोई assault करते हैं, लेकिन वहां उनसे किस भाषा में बात करेंगे, इससे डरता है। पुलिस के संबंध में पब्लिक का जो experience है, वह बहुत अच्छा experience नहीं है। आपने पुलिस के साथ जो sentencing बढ़ाई, I welcome that also. Similarly, आपने सेक्शन (14) में अब यह बोला है कि when there is pornographic charge, मतलब अगर आप बच्चे को यूज़ करके pornographic film बनाते हैं या Whatsapp पर फोटो सर्कुलेट करते हैं... pornography में there is also a sexual assault. You are going to be punished for both. You will be punished for sexual assault and for pornography. I welcome that also. लास्ट में आप सेक्शन (15) में interesting amendment लाया है, जिसमें आपने कहा है, when you store pornographic materials in your Whatsapp, और आपने उसको retain करके स्टोर किया और आप पकड़े गए, तो 5 हजार रुपए जुर्माना होगा और next time it will be ₹ 10,000. I entirely endorse it. आप यह जो tightness ला रहे हैं, I appreciate both these thins. Whatsapp पर इस प्रकार के जो pornographic transfer होते हैं, it should be discouraged. People should be scared. Somewhere आपने एक rule of law को enforce करने के लिए punishment का प्रावधान किया है और आपने इसमें कुछ punishment बढ़ाई भी है। लेकिन इस पूरे अमेंडमेंट के बहुत सारे critics हैं। देखिए, आप अमेंडमेंट तो लाए, हम उसका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन पूरा अमेंडमेंट is singularly focussed on punishment. It is singularly focussed on punishment, but it is quiet on (a) protecting children from sexual crime before it happens. Of course, it may not be part of this section, but that is more important. As a society, as a community, as a nation, as a State, we need to start thinking about prevention. How will you prevent

the exploitation of those thousands and lakhs of children who are exploited every day in the home, where they work, and where they study? You may say, how can you prevent? For instance, every day, children have different experiences, while going to school, while coming out of school, while in school. Expecially, girls के बहुत experiences होते हैं, Who is talking to them कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? Where is the sensitisation of children? आपने जो थोड़े से रेप केसेज़ हैं या दूसरे केसेज़ हैं, उनमें पकड़कर जेल भेज दिया और वे भी जेल नहीं जाते हैं। I will come to that statistics later on. But लाखों बच्चों-बच्चियों के साथ day-to-day basis पर जो exploitation हो रहा है, in their homes, in their institutions, उनको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? Every second child is being subjected to this exploitation. सर, मुझे अमेरिका के बारे में पता है, if you slap your child और neighbor ने इसकी रिपोर्ट कर दी, तो 10 मिनट में पुलिस आ जाती है। डॉक्टर आ जाता है, psychologist आ जाता है and all kinds of people will arrive. हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम कहां है? आप लॉ तो बना रहे हैं, अमेंडमेंट को लेकर आपने बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी कही हैं, But, at the end of the day, what is stopping? क्या रुक रहा है? कुछ नहीं रुक रहा है, क्योंकि घरों में जो क्राइम्स होते हैं, उनमें आधे घर के connected लोग करते हैं। At times, children are even exploited by parents, brothers, and sisters. Who is reporting? Who is getting into all that? यह country ही प्रॉब्लम है। मैं आपके सामने जो प्रेज़ेंट कर रहा हूं, this is the issue of contry. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : माननीय विवेक के. तन्खा जी, पार्टी ने आपको बारह मिनट का समय दिया है, वह पूरा हो गया है।

श्री विवेक के. तन्खा : सर, चार घंटे हैं।

श्री उपसभापति : आपको बारह मिनट दिये गए हैं।...**(व्यवधान)**... आप बोलें। आपको पार्टी के द्वारा जो समय मिला है...**(व्यवधान)**... आपके चार वक्ता हैं।...**(व्यवधान)**... आप बोलें।...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : अभी हाउस में कहा गया हे कि आज सिर्फ इसी बिल पर चर्चा होगी।

श्री उपसभापति : चार घंटे का समय है।...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा : चार घंटे के मुताबिक हमारे Chief whip इसको देख लेते हैं।

श्री उपसभापति : माननीय आनन्द शर्मा जी, चार घंटे की बहस है। उसी के अनुसार समय तय है। 42 मिनट में चार वक्ता हैं और आपकी पार्टी ने लिखकर दिया है।

श्री आनन्द शर्मा : सर, हम पार्टी की तरफ से देख लेंगे। हम दे देंगे।

श्री उपसभापति : ठीक है, आप बोलें।

SHRI VIVEK K. TANKHA: This was on sensitization. मैं यह कह रहा हूं कि स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में where is that effort to sensitize? मैं आपको बताता हूं कि वर्ष 2014 से 2016 के बीच में 1,04,976 cases were registered for trial under this Act. So, 1,04,976 cases were registered up to 2016. NCDRB में इसके बाद कोई फिगर्स नहीं है, तो हम आपको बता भी नहीं सकते। As per the NCRB, trial has been completed only in ten per cent of these cases. Only ten percent! And, out at these ten percent, सिर्फ 30 परसेंट में conviction हुआ है। So, what is the conviction rate? As per my calculation, 3,149 cases में conviction हुआ है, out of 1,04,976 cases. यह जो deterrence है, which is flowing out of the Act, वह भी तो नहीं हो रहा है। हम prevention की बात नहीं कर रहे हैं, protection की बात नहीं कर रहे हैं, sensitization की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो हम actual crime की बात कर रहे हैं।

[उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) *पीठासीन हुए]*

उसमें भी कुछ conviction नहीं हो रहा है। The other day, I was travelling somewhere in Chhattisgarh. I remember, मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर आया और कहा कि सर, किसी दिन आपको मौका मिलेगा, तो आप पार्लियामेंट में मेरी यह बात जरूर बताइएगा। मैंने कहा, बताइए क्या बात है? He told me that he used to visit a child home in Durg. उस child home में, juvenile home में, जो 18 साल तक के बच्चे क्राइम करते हैं, वहां जाते हैं। उसने बताया कि 16-17 साल का लड़का क्राइम करता है और उसके बाद सालों तक ट्रायल चलता रहता है और वह 24-25 साल का हो जाता है। He becomes a bad effect on other children in the Children's Home. He says, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वह बच्चों को बरबाद करता है। वह आगे कहता है कि हम चाहे सरकारी वर्दी में हों, लेकिन हम उधर नहीं जा सकते। हम सरकारी वर्दी में उनको छू नहीं सकते, क्योंकि इतना strict law हो गया है। वह कहता है कि आज इतनी worrying situation हो गई है कि in these Children's Homes, you can't even imagine. I could see what he was saying. वह मुझे खुद ही बता रहा था कि एक व्यक्ति 25-30 साल बाद किसी old crime में पकड़ा गया, when he was a juvenile. वह 57 वर्ष का है और उसको ले जाकर Children's Home में रखा गया। What I am trying to say is, हमारे देश में जो real and practical discrepancies हैं, वह कौन दे रहा है? हम केवल अमेंडमेंट ले आते हैं और कहते हैं कि life imprisonment कर देंगे, फांसी पर लटका देंगे, क्या उससे मर्डर बन्द हो जाएगा? उससे बच्चों का रेप बन्द हो जाएगा? जो real issue है, उस पर कोई फोकस कर ही नहीं रहा है। इस ऐक्ट के अंतर्गत वर्ष 2013 में Ministry of Women and Child Development ने एक गाइडलाइन निकाली थी that in case of a child with special needs, there must be a trained person, expert, right form the stage of FIR to medical examination. इसमें कुछ प्रोविजंस है, but not the way the Ministry wanted. बल्कि where is the focus on these special children?

मैं आपको आपना लाइफ एक्सपीरियंस बता सकता हूं। हमने 18 अप्रैल, 1997 को जबलपुर में स्पेशल बच्चों का एक स्कूल स्टार्ट किया। Justice J.S. Verma, who has been the Chief Justice of India, inaugurated that school. 5-7 साल के बाद एक इंसिडेंट हमारे सामने आया, जो कि एक बच्ची से संबंधित था और वह बच्ची mentally challenged थी। हमारी बस जाती है, उसके साथ एक टीचर जाते हैं और उन बच्चों को बिठाकर लाते हैं और फिर उन बच्चों को वापस घर छोड़ते हैं। जिस बस स्टॉप से वे उन बच्चों को उठाते थे, वहां तीन-चार दिन से वह लड़की नहीं आ रही थी, तो दो-चार दिन बाद टीचर उसके घर पता करने गए कि वह बच्ची क्यों नहीं आ रही है, क्या उसकी तबियत ठीक नहीं है? इस पर पैरेंट्स ने बताया कि नहीं, वह तो जाती है, वह तो रोज़ स्कूल जाती है। क्या पता चला? She could not speak; she was mentally challenged. वह घर से निकलती थी, उसके बाद वहां लोकल लड़के आते थे और वे उसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर लेकर चले जाते थे।...(**समय की घंटी**)... So, these sorts of things have been happening. हम इसको वहां check कर पा रहे हैं? We can imagine what must be happening to that girl. वह किसको रिपोर्ट करेगी, उसने क्या समझा है? Society may have its own ways of dealing with those boys. वह एक अलग इश्यू है। But, at the end of the day, what I am trying to say कि हम ये सब अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, but this is only a tip of the iceberg; what has to be done is much more.

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : कन्क्लूड कीजिए।

श्री विवेक के. तन्खा : मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि हर घर में बच्चे होते हैं और बच्चों की सेफ्टी हम लोगों के लिए सबसे बड़ा इश्यू है। आज हमको अपनी बेटियों को बाहर अकेले भेजने में डर लगता है, especially शाम के वक्त हम नहीं भेज पाते हैं। हम उनको इसलिए नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि हमारा overall, law and order is poor. जब तक हम लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक उन लोगों को संरक्षण मिलना बन्द नहीं होगा, जो इस प्रकार की activities में संलग्न हैं, तब तक यह क्राइम नहीं रुक सकता। Thank you.

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 का शत-प्रतिशत समर्थन करता हूं, परन्तु सरकार के चिन्तन हेतु मेरे अपने कुछ विचार हैं, जिनको मैं सदन के सामने रखना अपरिहार्य समझता हूं। मान्यवर, यौन अपराध रोकने के लिए पहले भी अत्यंत कठोर कानून बने हैं, जिनमें 20 साल की सज़ा का प्रावधान है, फांसी की सज़ा का प्रावधान है और आज माननीय मंत्री महोदया, जो संशोधन विधेयक लेकर आयी हैं, इसमें भी कठोरतम सज़ा के अनेक प्रावधान हैं।

मान्वयर, चिंतन का विषय यह है कि आजीवन कारावास, मृत्यु दण्ड कानून के बावजूद यौन अपराध नहीं रुक रहे हैं। मृत्यु दण्ड के कानून के आगे आप कोई कानून नहीं बना सकते, एक

[श्री हरनाथ सिंह यादव]

जन्म के स्थान पर दो जन्मों तक दण्ड का कोई प्रावधान नहीं बना सकते। मान्यवर, हमारे और आपके लिए, चाहे इधर बैठे सदस्य हों या उधर बैठे सदस्य हों, सबके लिए गहन चिंतन का विषय यह है कि आखिर समस्या की ज़ड कहां पर है? जब तक हम रोग के मूल स्रोत पर चोट नहीं पहुचाएंगे, जब तक हम रोग के मूल को सही प्रकार से नहीं समझेंगे, तब तक दवाएं देते रहिए, उससे कोई विशेष लाभ होने वाला है, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

मान्यवर मैं जो बोलने जा रहा हूं, आपको और सभी माननीय सदस्यों को कुछ अटपटा लग सकता है और विशेष तौर से मैं, मेरी बेटी के समान जो अधिकांश बहनें बैठी हैं, छोटे भाई बैठे हैं, यदि उनको कुछ असुविधाजनक लगे तो मैं अग्रिम रूप में उनसे माफी माफी मांगता हूं। मान्यवर, मैं जो बोलने जा रहा हूं, मुझे भी वह बोलने में असुविधा हो रही है, परंतु पानी सिर के ऊपर चला गया है, इसलिए बेबाक व स्पष्ट बोलना मुझे अपरिहार्य लगता है। मान्यवर, प्रश्न यह है कि हमारे देश में अचानक यौन अपराधों की बाढ़ कैसे आ गई और क्यों आ गई? सवाल यह है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने देश की भावी पीढ़ी के लिए आखिर क्या परोस रहे हैं, उसको भोजन क्या दे रहे हैं, उसको संस्कार क्या दे रहे हैं? मान्यवर, हमारे यहां एक कहावत है, आम तौर से बोलते हैं कि 'जैसा खाओगे, वैसा बनोगे'। मान्यवर सार की बात यह है कि आज हम अपने बच्चों को जो परोस रहे हैं, उसी के परिणाम हमारे-आपके सामने आ रहे हैं। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक आठ साल का बच्चा सिनेमा घर में 'राजा हरीशचन्द्र' फिल्म देखने गया, फिल्म से प्रेरित होकर उसने सत्य का मार्ग चुना और वह बड़ा होकर एक महान व्यक्तित्व का स्वामी बन गया, परंतु आज आठ साल का बच्चा टी.वी. देखता है, सोशल मीडिया देखता है, सिनेमा में फिल्म देखता है। हम टी.वी. में और सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं? नग्नता देखते हैं, अश्लील वीडियो देखते हैं, फोटो मैगज़ीन में युवतियों के नग्न चित्र देखते हैं, महिला-पुरुषों के बीच जो क्रियाएं होती हैं, हम उन्हें देखते हैं। मान्यवर, प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक टी.वी. चैनल खोलिए, हम कहीं देखेंगे कि फिल्मी हीरोइन, क्षमा करें...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh) : Sir, object to the word 'filmi heroine.'

श्री हरनाथ सिंह यादव : मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं और मैंने अग्रिम माफी मांगी है। आप मेरी छोटी बहन हैं। मैं फोकस कर रहा हूं, मैं आपसे माफी चाह रहा हूं। आप मुझसे छोटी हैं, मैं माफी चाह रहा हूं। मान्यवर, प्रातःकाल टी.वी. खोलिए और रात्रि तक देखिए। कहीं फिल्मी हीरोइन कंडोम बेच रही हैं, कहीं एक प्रतिष्ठित फिल्मी कलाकार शैम्पू के विज्ञापन में लड़की पटाने के सूत्र बता रहे हैं। मान्यवर, टी.वी. पर यह सब आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। हम और आप सभी मां-बाप अपने छोटे बच्चों के साथ म्यूज़िक चैनल देखते हैं, उनमें क्या आ रहा है? मैं भी बैठा हूं, मेरी पत्नी बैठी हैं और मेरे छोटे-छोटे बच्चे बैठे हैं और सब साथ-साथ टी.वी. देख रहे हैं, "दारू बदनाम करती", "कुंडी मत

खड़काओ", "मुन्नी बदनाम हुई", "चिकनी चमेली", "झंडु बाम", "करूंगा तेरे साथ गंदी बात" और न जाने क्या-क्या हम ऐसी चीज़ें परोस रहे हैं। सर, सवाल यह है कि बच्चे का मन कोमल होता है, उसके ऊपर इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ेगा?

मान्यवर, मुझे बोलने में खुद भी बहुत शर्म लग रही है, जिस आयु वर्ग में मैं हूं, आपको भी लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बोलूंगा, तो मैं समझता हूं कि मैं अपने प्रति और समाज के प्रति न्याय नहीं करूंगा। मान्यवर, टी.वी. पर सुहागरात के दृश्य दिखाए जा रहे हैं, आंलिगन के, चुंबन के, रोमांस के दृश्य खुलेआम दिखाए जा रहे हैं। सोचने की बात यह है कि हम अपने कोमल मन के बच्चों को क्या परोस रहे हैं, क्या भोजन दे रहे हैं।...**(समय की घंटी)**... मान्यवर, मेरा विषय...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आप समाप्त कीजिए।

श्री हरनाथ सिंह यादव : मान्यवर, पांच मिनट...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आपके दल ने आपको इतना ही समय दिया है, इसलिए आप एक मिनट के अंदर कन्क्लूड करिए।

श्री हरनाथ सिंह यादव : मान्यवर, हम टी.वी. चैनल्स सोशल मीडिया पर अपने बच्चों को पाखंड परोस रहे हैं, अश्लील चीज़ें परोस रहे हैं, उद्दंडता परोस रहे हैं, अभद्रता परोस रहे हैं, अशिष्टता परोस रहे हैं। झूठे और सत्य से परे ज्योतिषी खुलेआम पाखंड परोस रहे हैं। समोसा और पापड़ से दुनिया की सभी समस्याओं का इलाज हो रहा है। ढोंगी बाबाओं की बाढ़ आ गई है। मान्यवर, आपने मुझे रोक दिया, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, आप मुझे पांच मिनट का समय दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आपकी पार्टी के छ: माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। आप उनके बोलने के लिए भी कुछ समय छोड़ दीजिए। आप समाप्त कर दीजिए।

श्री हरनाथ सिंह यादव : मान्यवर, मेरे एक मित्र हैं। वे दो साल पहले मुझसे मिलने आए थे। वे देश भर में घूमकर उपदेश करते हैं। वे समाज सेवी हैं, समाज के बारे में बड़ा चिंतन करते हैं। मेरे पास बैठे और वार्ता में बार-बार वे पॉर्न की चर्चा करने लगे। मैंने उनसे पूछा कि पार्न क्या होता है? पॉपकॉर्न तो मैंने सुना था, यह पॉर्न मैंने कभी नहीं सुना है। मान्यवर, उन्होंने मुझे समझाया और दृश्य दिखाए। मैं उनके साहस की दाद देता हूं, मेरा मस्तिष्क सुनकर के सन्न रह गया। मान्यवर, सामान्य लोगों की बात छोड़िए, उन्होंने देश के अत्यंत सम्मानित, श्रद्धास्पद राजनैतिक नेताओं के नग्न चित्र दिखाए। जो संवैधानिक पदों पर हैं।...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : अब समाप्त कीजिए।

महिला एवं बाल विकास मंत्री; तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी) : सर, यादव जी मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन यहां बहुत सी महिलाएं भी बैठी हैं और यह चर्चा पूरा देश देख रहा है इसलिए हमें जो भी चिंताएं व्यक्त करनी हैं, थोड़ी सी मर्यादा में करें ताकि इस बिल की गरिमा के ऊपर हम लोग ध्यान केन्द्रित कर सकें।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : अब समाप्त कीजिए।...**(व्यवधान)**...

श्री हरनाथ सिंह यादव : मैं खत्म कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आपका समय समाप्त हो चुका है। हमने आपको एक मिनट ज्यादा समय दिया है। अब आप समाप्त कीजिए, मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूं। श्रीमती विजिला सत्यानंत।

श्री हरनाथ सिंह यादव : मान्यवर, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरा इतना ही कहना है कि यह देश को बचाने का मुद्दा है, समाज को बचाने का मुद्दा है, देश की संस्कृति को बचाने का मुद्दा है।*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): That will not go on record. Only Shrimati Vijila Sathyananth's speech would go on record.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu) : Sir, the Bill seeking to amend the POCSO Act of 2012 is an excellent piece of legislation. It recognizes almost every known form of sexual abuse against children as a punishable offence. I appreciate the hon. Minister for Women and Child Development for bringing a very comprehensive Bill with some very good amendments, which seek to investigate cases in a time-bound manner. She has brought out some very good amendments to various Sections including those dealing with child pornography. The Government has said that it would address all aspects of sexual abuse and assault in an appropriate manner and provide the option of stringent punishment including the death penalty. It also seeks to protect children from sexual offences during times of natural calamities and other similar situations, which is proposed in Clause 9, as also the menace of child pornography.

Sir, as rightly pointed out by the first speaker, according to the National Crime Records Bureau, crimes against women and children have increased from 3,29,243 in 2015 by an alarming 300 per cent in the last six years. These statistics send a very strong message to us that we need to cull this menace out of India. How to go about that?

Sir, my first suggestion to the Government is that special courts must be set up, like *mahila* courts. Actually, hon. *Puratchi Thalaivi Amma* had brought out a thirteen-point programme for bringing down this menace. She set up fast-track *mahila* courts in all districts to carry out thorough investigations, pursue legal matters quickly, conduct trials on a daily basis and provide speedy judgments. But I feel that there should be special courts because in *mahila* courts there are a lot of cases pending and they are

* Not Recorded

already over-crowded and over burdened. Hence, I would like to urge this Government to form special courts. Even the Supreme Court has given directions to exclusively investigate cases covered under the POCSO Act. At present, in every district all *mahila* courts are over-burdened and so, special courts to deal exclusively with such cases need to be set up. Also the Public Prosecutors should be women and Special Public Prosecutors must be 65 years of age or more. Maybe I should not put it in age, but an elderly person must be appointed. The age limit of Public Prosecutors hearing these cases should be relaxed. It is the duty of the Central Government to give full financial assistance for setting up such courts. So, a very dynamic Women and Child Minister has brought a very landmark legislation. I appeal to the Government to focus on making special courts immediately with full special assistance. The time-limit should be fixed for the trials in these courts; more specifically, it should be a speedy trial on daily basis and solatium should be given by the Government to the victims. Nirbhaya Fund was announced in 2013 after the gang rape which shook the whole India and we all felt very bad. It was really an incident which shook the country. The Fund was announced with the initial amount of ₹ 100 crore and was aimed at implementing and enhancing the safety of children and women. In 2014, the Government again pumped ₹ 15,000 crore into it. But it was cut down to ₹ 550 crore in 2016-17 and a similar amount was allocated in 2017-18 also. The total corpus amount is ₹ 3,100 crore, but it is under-utilised and is not made helpful for the needy; it is hardly utilised. It is very important to note that the Fund goes to the needy at a time it is needed and solatium should be given from the Nirbhaya Fund to the victims. Where twenty years punishment is accorded for this heinous crime, it has to be a life sentence. The Minister has brought the Amendment that it has to be life sentence. Wherever it is twenty years, it should be a life sentence. In Section 6, in place of 'not less than 20 years', it has to be replaced by 'life'. In Sections 4, 5, 6, 9, 14, 15, 42 and 45, the Amendments are all very appreciable and highly welcome. I welcome this Amendment Bill in the present context. In 2008, the Government brought a Bill, namely, the Protection of Women against Sexual Harassment at Work Place. So far, 85,750 cases were reported as crime against women; sexual harassment cases at home by relatives rose up to 35,565 and offences against children rose up to 2,28,650. So, I would like to bring to the notice of the House that Puratchi Thalaivi Amma ensured women safety by bringing 15-point programme which states that the State will amend the Goondas Act and this will be brought under the Goondas Act, and the offence would be non-bailable. We emphasise for death penalty and chemical castration to the person

[Shrimati Vijila Sathyananth]

who has done this heinous crime. Incidence of sexual assault should be treated as a grave crime. The top police officials — that was in Amma's 15-point programme — must be probing these incidents. Close Circuit TV sets should be installed in all the public buildings and police personnel in plain clothes be deployed in important locations including market places and women colleges. The entire medical expenses of women who suffer from sexual assault should be borne by the Government. I have also come across some of the constraints in this Act. One is regarding consent. If a child refuses to undergo medical examination but the family members and the Investigation Officer are insisting on medical examination, this POCSO Act is silent on this. It needs a clear direction. There is an urgent need to clarify the issue of consent in such cases. Another is the medical examination. The POCSO Act mandates that in the case of female child or adolescent victim, the medical examination should be done by a female doctor. But, at times, the female medical officer to provide any emergency medical care is not available. However, this Act mandates to give immediate medical attention by the doctor available there. There is a conflicting legal position which arises when the female doctor is not available.

Kindly clarify about the treatment cost. Either there are no proper facilities available or a costly procedure is required. The State has to take the responsibility for reimbursing the cost. Otherwise, the hospital may provide sub-standard medical treatment procedure which will deprive the survivor of a comprehensive treatment. That is very important. Next, the child marriage. The child marriage and solemnisation of child marriage were considered illegal under this Act. But, in India, even though the child marriage is prohibited under secular law, it enjoys the sanction under certain personal law. That complicates the matter.

Then kindly clarify about training. There is an urgent need to train the medical professionals, teachers, judicial advocates and law enforcing agencies in the POCSO Act. Research information, monitoring and sensitising the public is very important because now schools are also not safe. In apartments and houses, all the people who are indulging in this crime are security officers or the watchmen in the schools. So, all our people should be sensitised more on these issues. Also, training of all the stakeholders is one of the important things. *(Time-bell-rings)* I will conclude, Sir.

Only one more point; role of the mental health professionals. The role of the mental health professionals is crucial in the intervention of child in the court of law. Child sexual

3.00 P.M.

abuse can result in both short-term and long-term harmful mental health impact. Mental health professionals need to be involved in follow up care of the victim with regard to emergence of psychiatric disorders by providing individual counselling, family therapy and rehabilitation. There is another important thing, that is, reporting. It is well known that the cases of child sexual abuse are usually not reported. Further, reporting of a child sexual offence is extremely difficult and it is, highly, a personal decision for many family members and also for the survivors.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you, please conclude.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Both the survivors and the family members, feel embarrassed and ashamed, bearing the guilt, anger, frustration and emotional turmoil of the act. I also want that the golden rule should apply to all the medical professionals working with the children, about the reasonable degree of this menace. Sir, I hope that the Minister would address these issues which are some of the legal impediments in this Bill. I do want that this Bill should be immediately passed in this Parliament and more safety, security and a better rehabilitation be provided to all the women, children and society. I would urge upon the Government that this Bill should really address all these issues. Thank you, Sir.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Now, Shri Abir Ranjan Biswas.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Thank you, Sir, for allowing me to speak on this Bill. Sir, Mr. Nelson Mandela, famously said and I quote, "There can be no keener revelation of a society's soul than the way it treats its children". The irony is that I recite his quote in times when numbers reveal that our children are not safe. The Supreme Court registered a PIL seeking a concerted and concrete response by the nation towards zero tolerance of sexual assault on children.

Astonishingly, 24,212 cases of child sexual assault/abuse have been registered from 1st January to 30th June this year. Around, 6,600 cases went on trial, and out of these, quite shockingly, only four per cent cases have been decided. Now, regarding the POCSO (Amendment) Bill, we welcome this step. It is a very gender neutral law and we welcome this Bill. The intention of the Bill is to curb sexual abuse against children by introducing stringent punishment. This is very praiseworthy in this regard. The Bill introduces a definition for ‘child pornography’ to fill the lacunae that existed in the law

[Shri Abir Ranjan Biswas]

till now. The Bill also internalizes technological advances by laying down provisions for penalizing child pornography transmitted or stored in wide range of mediums.

Sir, this legislation faces a limitation, while attempting to bring about a social change. Here, I would like to quote what Dr. Ambedkar had said, "For regeneration of a community, social, economic and moral forces are far more vital and political forces are only a means to the social, economic and moral regeneration of a people." On this note, I would like to take this opportunity to point out the flaws in certain provisions of the Bill.

First, the drafting of the Bill is ambiguous at certain instances. The Bill falls flat in its promise of strict punishment for child pornography. In some instances, the perpetrator may just walk away with a paltry fine of just ₹ 5,000 or ₹ 7,000. I feel it is very insignificant. Secondly, amended Sections 15(1) and 15(2), both prescribe different punishments for the similar offence of storing pornographic material with the intention of transmitting child pornography. The first clause only prescribes a fine. The second clause punishes the offence with imprisonment or fine. Why does the Bill prescribe two different punishments for the same nature of crime? It is very confusing for us. Under the amended Sections 15 and 45, child pornography has to be reported to a designated authority. The Bill delegates the rule-making power regarding manner of reporting but not regarding the designation of such an authority. I would like to seek a clarification from the hon. Minister regarding designation of such authority and why there is no clause regarding this in the Bill or memorandum of delegation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. There is one more speaker from your party.

SHRI DEREK O'BRIEN : Sir, my time may go to him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Okay, you can continue.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS: The clause classifying 'sexual assault on child in course of sectarian and communal violence' as aggravated penetrative sexual assault has been substituted in this Bill by 'violence during natural calamity'. These categories of offences are not comparable. The purpose of this substitution is unclear, especially in the times of communal unrest that the country stands witness to.

The Bill lays down that fine imposed on the perpetrator shall be transferred to the survivor. It would have been more prudent to have a fund from which this fine could

be given to the victim, and later, when this fine was extracted from the perpetrator, that could go to the fund. This method could solve many problems. This could actually act as a buffer undoing all the delays in such cases.

The Bill does not consider the observations made by the Madras High Court suggesting that consensual sex, physical contact or allied acts after the age of 16 be excluded from the ambit of POCSO Act. Also, Sir, the POCSO is often misused to cover up cases of elopement or inter-caste marriages. This Bill should also look into the fact that any harassment under the POCSO Act, since the amendment would increase harassment as the law is being made more stringent, should be avoided. I maintain that there should be punishment for abuse, but there should also be an attempt to curb the misuse arising out of age of children fixed at 18 years in this case.

Next, Sir, I would like to draw the attention of the House towards the poor implementation and ineffectiveness of the law related to child sexual abuse. Studies have shown that higher punishments do not have a deterrent effect on the rate of crimes committed. Year after year, the punishments prescribed for sexual assault on children and women have increased, but the rate of offences of this nature has also paralleled. This is reflective of failure in State machinery and not any lacunae of legislation. Sir, we always knew that justice delayed is justice denied. Yet most trials are delayed or the perpetrators are often acquitted on grounds of insufficient evidences. This process adds to the mental agony of the survivors. This Bill needs to look into it. The Courts are overburdened with cases and although a timeline has been set for deciding cases under POCSO, that being of one year it is mostly not met. So, you should make it a point that once we have a provision, it is met. Until and unless it is met, it is of no value. I have a very close friend of mine in the judiciary. I was talking to him about this Bill. I asked him about the difficulties that they face in convicting culprits, even when they understand that a person is guilty, yet is getting out through the loopholes. He said that we should not make special courts; or have designated courts, but, we should have dedicated courts for this purpose. Once we have dedicated courts, it will become much easier to handle such cases. So, he was also of this opinion. I would like the hon. Minister to take note of it and see to it that these courts should not be in the normal premises of court-rooms where we often have very tainted persons, who are already found guilty and are under-trial for very heinous offences. The atmosphere of such courts should be completely different. They should be placed somewhere other than the courts in which these hard criminals are tried. Sir, also we lack proper reporting of the DNA

[Shri Abir Ranjan Biswas]

material and all other substantial medical evidences, which need a very timely reporting. So, in this case, it is very imperative that we look into timely reporting of it. Also, my next point is regarding the awareness of the law. Sir, workshops should be conducted for children to create a safe space for them to recognize and speak about the issues of abuse. Awareness of only adults is not enough. Most of the children are being abused at the hands of closed ones who often enjoy their trust. We know that the "aggravated" part of this Bill has come; for such specific situation where such people are involved, and are called the aggravated sexual offences and aggravated sexual assault. Sir, we have some other concerns also. As Shrimati Vijila was also mentioning that it is a matter of consent for medical examination. There should be a matter of consent in the case of adolescents aged between 12 years and 18 years because most often than not we find that such thing is done without the consent of the victim, which is not very much expected to be done. Sir, I want to say that there is a big issue about the treatment cost. The law casts a legal obligation on medical fraternity and establishment to provide free medical care to the survivors. If there are no proper facilities, and if the procedures are costly, then the State should step in to bear the cost; otherwise, hospitals may provide substandard medical treatment or we may see them depriving the survivor from comprehensive treatment. Also, Sir, there are many cases of consensual sex among adolescents between the age of 16 years and 18 years. Sir, sexual contact between two adolescents and an adolescent and an adult is considered illegal under the POCSO Act, 2012 because no exception has been granted in the Act, under which an act of sexual encounter with a person under 18 years of age is an offence, irrespective of the consent or the gender or marriage, Sir, I repeat marriage ...*(Time-bell rings)*... or even the age of the victim. Sir, just two minutes, and I will conclude. However, it is proposed that any consensual sexual act that may constitute penetrated sexual assault should not be an offence when it is between two consenting adolescents or both the adolescents will be charged under the POCSO Act. Sir, this is gender neutral. If both of them are consenting and yet they are under the age of 18, both of them are charged with rape. Sir, let me mention here that through the amendment to the Indian Penal Code concerning rape laws, 2013, it is clearly stated that age for consent has been fixed at 18 years, and, so, it amounts to rape for both of them. Here in this Act, we are stressing upon reporting of cases. Sir, we have seen such practices of adolescent marriage rampantly amongst some tribal people, and, especially in Kerala, we know. Since POCSO Act is marriage,

consent, gender and Perpetrator's age neutral So, if we stress upon reporting in such cases, and this adolescent marriage goes on, what will happen is that we will register the highest number of rape cases in the world. Most unfortunately and deplorably, we will be looked upon as the rape capital of the world, which we cannot afford to be.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS: Sir, I will conclude by saying that though the POCSO Act, 2012 is an excellent piece of legislation recognizing every known form of sexual abuse against children as a punishable offence, a few challenges remain to be answered. A multi-dimensional, multi-agency team and multi-tier approach including access to psychological support is to be made available to deliver holistic and comprehensive care under one roof for victims of child sexual abuse. *(Time-bell rings)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. I have to call the next speaker.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS: Sir, I will end by saying that larger societal changes are brought not just by amending the written words, but by affecting and appealing to the psyche of the people, who collectively lie at the heart of this society, and, invariably, this is for each legislation. With these words, I thank the hon. House for lending me a patient ear. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Now, Shrimati Jaya Bachchan.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (UTTAR PRADESH): Sir, I stand to support this amendment Bill, and, I am sure the entire House will do the same. I specially support this Bill because firstly when the Bill was brought in 2011, and, now when it has come in 2019... ...*(Interruptions)*... अभी आप लोग कमेंट मत करिए, distraction हो जाता है और फिर कहकशां मुझे डांटती हैं।

Sir, all necessary changes have been made but are these changes sufficient? Only amendments will not solve the problem. Sir, the most important thing is that time-bound investigation, prosecution and proportionate compensation should be brought into the Rules.

Secondly, Sir, the NCPCR is toothless. The Government should provide for an 'independent' National Children Tribunal. सर, कैलाश सत्यार्थी के बारे में आप सबने सुना है, Nobel Laureate हैं, उन्होंने कहा है, Do you think a 15-year old girl abused today will be

[Shrimati Jaya Bachchan]

attending the court hearing when she is 60?" But that is the actual situation at the moment.

Sir, after the Nirbhaya case, very stringent laws were made. Special funds were allocated but this has not stopped the abuse. In fact, the crime rate has increased. We are a 10,000 years-old civilization; we are a free, independent country of 70-plus years and we have one of the highest crime rates against the vulnerable women and children. It is a very embarrassing situation. Only making laws will not help. As long as disintegration in the society and disparity level is not bridged, the situation will not improve. Sir, a cultural crisis is looming. मानवता का एक गिरता हुआ चेहरा नज़र आ रहा है। If our laws were executed well, the scenario would have been different. There is no fear, no respect amongst the people today for law enforcement agencies. जब हम छोटे होते थे और किसी वर्दी वाले को देख लेते थे, तो श्रद्धा से उनकी तरफ देखते थे। उनसे डरते भी थे। कहते थे कि शैतानी मत करो, पुलिस पकड़कर ले जाएगी। उनसे लोग डर जाते थे। People today have lost that fear and in casual conversation people very easily say कि आज तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। हमें इस mindset को बदलना होगा। लोगों के अंदर वर्दी के प्रति डर होना चाहिए। This is really something that one has to worry about. How do you create this psyche in the minds of the people? आजकल लोग, डर तो छोड़ दीजिए, शर्म करना भी भूल गए हैं। यहां हमारे भाई साहब ने बहुत कुछ कहा। आपने जो कुछ कहा, आप अपनी जगह ठीक हैं, मगर कब तक आप technological progess से लड़ेंगे? यह आपके ऊपर है, माता-पिता के ऊपर है, टीचर्स के ऊपर है और guardians के ऊपर है। कोई चीज़ आपको अश्लील लगे, तुरन्त टीवी बंद कर दीजिए। रिमोट आपके हाथ में है। This is your freedom. This is your right. हम यहां भले ही फिल्म वालों के बारे में बोलें, टीवी सीरियल्स के बारे में बोलें या pornography के बारे में बोलें, मगर ये सारे gadgets ऐसे हैं, आप जब चाहें इन्हें बंद कर सकते हैं। यह दायित्व आपका है। यह दायित्व उनका नहीं है, जो इन्हें बना रहे हैं। वे किस वजह से बना रहे हैं, इसे वे ही जानते हैं, मगर इसे switch on करने या swich off करने की freedom आपके हाथ में है। feel that the punishment sould be proportionate without age being the consideration. मुझे याद है कि निर्भया केस के वक्त, the youngest member of the group committed this crime, was a minor. They had to wait for years to punish him. I think we are not fair. मुझे याद है, this is one case which has really troubled me a lot. And I followed this case very seriously. जब भी मैं सोचती थी, even when I speak now, I get gooseflesh. I only thought of her mother. I am a mother of a daughter. उस मां पर आज भी क्या बीत रही होगी, because the justice was delayed. लाचारी का इतना बेरहम चेहरा किसी मां को नसीब न हो। Even today when I see the mother,

she looks helpless and she is looking for justice for her daughter. पर बहुत देर हो गई। At that time, I was very angry and said that those people should be brought onto the street; if the judiciary or the Government or the law cannot do anything, let the people of this country give justice to her killers. इस बिल पर मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूं, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने बहुत details में जानकारी दिया है।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आपके दल से बोलने के लिए अभी एक और वक्ता हैं।...**(व्यवधान)**...

श्रीमती जया बच्चन : मुझे याद है, सर। मैं उनके लिए वक्त छोड़कर बोलूंगी। I feel that कानून को सख्त बनाने से क्या सब कुछ बदल जाएगा? आपकी कोशिश अच्छी है, जिसकी मैं तारीफ करती हूं, लेकिन कोशिश इतनी सख्त नहीं है, जितनी होनी चाहिए। हमें अपने दिल से पूछना चाहिए कि जो लोग ऐसी गलतियां करते हैं, चाहे वे बच्चे हों, minor हों या major हों, कानून इतना strong बनाना चाहिए कि उससे इंसान डर जाए। सिर्फ आप उसको फांसी पर लटका देंगे, आजीवन कारावास हो जाएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। I don't know but I think we need to sit down and discuss it further as to how we can punish these people. उनको जिंदा रख कर परेशान कीजिए। उनको जिंदा रखिए और उनको इतना परेशान करिए, इतनी तकलीफ दीजिए कि आगे वाला डर जाए।

सर, यह जो हमारा जस्टिस हो रहा है, इसके संबंध में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जहां बताया जा रहा है कि it is going to take years to bring them to justice. मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूं कि वह यह है कि गुजरात में जो abused children हैं, they have to wait till 2071 for justice, अंडमान-निकोबार में 2055, मणिपुर में 2048, केरल में 2039, वैस्ट बंगाल में 2035, मेघालय में 2033, महाराष्ट्र में 2032, दिल्ली में 2029, कर्नाटक में 2028, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान 2026, तेलंगाना एवं असम में 2024, यह क्या जस्टिस है? जब तक इनको जस्टिस मिलेगा, ये मर जाएंगे। ये जब तक जिंदा रहेंगे, तब तक जिल्लत की जिंदगी जिएंगे। We are destroying minds of children in this country and we are going to pay a very, very heavy price for such psychologically affected children. पहले तो लड़कियों के लिए डर लगता था, आजकल तो लड़कों के लिए भी डर लगता है। जैसे तन्खा साहब कह रहे थे कि शाम को लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते हैं, डर लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कों को भी नहीं जाने देना चाहिए। ये लड़के अपने bravado में इस चीज को छिपाते हैं social stigma की वजह से या you know we are brave and strong men. Men don't cry. And they get psychologically affected and when they grow up, they are the ones who commit crimes.

सर, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि हम लोग बहुत कुछ बच्चों और महिलाओं के बारे में बोलते हैं, but सिर्फ बोल देते हैं। I wish and hope that you become a crusader

[श्रीमती जया बच्चन]

of this issue and every mother, every sister, every wife, every girl child and every boy child will give you support and strength including all of us sitting in this House, in bringing quick justice and prosecution. Thank you.

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम (ओडिशा) : महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं। भारत की जनसंख्या का 37 परसेंट बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं। मासूम बच्चे की सुरक्षा और सम्मान के लिए, इस समस्या को रोकने के लिए यह संशोधन बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक जीवन में बच्चों के ऊपर यौन शोषण सबसे बड़ी अमानवीयता है। इसके कई कारण हैं। आज जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज में अभी लगता है कि morality और humanity नाम की कोई चीज ही नहीं है। गांव में हो या शहरों में हो, जो विकृत मानसिकता और ड्रग्स सेवन का नशा करने वाले... और बच्चों पर सबसे ज्यादा असर सोशल मीडिया, टीवी का पड़ रहा है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे कोई भी डिसीजन लेने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से पूरी तरह से mature नहीं होते हैं। इसीलिए, सोशल मीडिया या टीवी का असर बच्चों पर पड़ रहा है। हमें इस पर गौर करना है। सर, माननीय मंत्री महोदया आज यह बिल लाई हैं, अमेंडमेंट लाई हैं, चाहे चाइल्ड प्रोर्नोग्राफी हो, अपराधियों को पनिशमेंट देने के लिए इस बिल को बहुत ही सख्त बनाया गया है। लेकिन देखा जाए तो कानून बनने से समस्या समाधान नहीं होता है। हर साल मामले दर्ज होते हैं और हर साल मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर समस्या है। सर, मेरा यह कहना है कि जो बहुत सारे पेंडिंग केसेज़ हैं, उनका समय-सीमा में फैसला किया जाए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

सर, शिशु और महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से ओडिशा सरकार के माननीय मुख्य मंत्री, श्री नवीन पटनायक जी ने वर्ष 2005 में "महिला-शिशु डेस्क (एमएसडी)" स्थापित किया था। इसके अंतर्गत अनेक कल्याणकारी स्कीम्स की शुरुआत की गई और स्टेप्स लिए गए। अभी तक three phased manner में 150 desks स्थापित किए गए हैं। बच्चे और महिलाएं समाज में बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित हैं। Domestic violence, चाइल्ड मैरिज, यौन शोषण, महिलाओं और बच्चों की trafficking, दहेज प्रथा इत्यादि इन सारी समस्याओं से बच्चे और महिलाएं पीड़ित हैं। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए ओडिशा सरकार के प्रयास और काम सराहनीय हैं।

सर, बच्चों के प्रति यौन शोषण के समाधान में राज्य पुलिस का काम सराहनीय है। इसमें लीगल सपोर्ट और पुलिस की कार्रवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य के सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वे होता है और डेटा के आधार पर कार्य किया जाता है। सर, बच्चियों के प्रति यौन अपराध जैसे घिनौने अपराध अत्यंत संवेदनशील हैं। बच्चों की सेफ्टी के लिए बच्चों को life skill education ...**(समय की घंटी)**... सर, थोड़ा समय...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आपके एक वक्ता और हैं।

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम : हां सर।

सर, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि जब हम गांव में जाते हैं, वहां जो रिमोट एरियाज़ हैं, एससी/एसटी एरियाज़ हैं, वहां बच्चों के लिए 6th class से life skill education course compulsory होना चाहिए। उन्हें बॉडी के पार्ट्स के बारे में, गुड टच, बैड टच के बारे में एजुकेट करना चाहिए। उनके लिए spiritual शिक्षा बहुत ही जरूरी है। नशे के सेवन पर रोक लगानी चाहिए और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी बहुत ही जरूरी है। माता-पिता के साथ-साथ बच्चों के स्कूल्स में जो टीचर्स हैं, guardians हैं, उन्हें बच्चों के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। सर, एनजीओज़ का काम भी बहुत जरूरी होता है, ताकि इस तरह के sensitive matter में हेल्प हो सके और awareness programme, counseling, programme गांवों में, रिमोट एरियाज़ में ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, लीगल सपोर्ट होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को ठीक तरह से काम करना चाहिए। जो आदिवासी क्षेत्र हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहां केस रजिस्टर नहीं होता है। वहां केसेज़ को रफा-दफा करते हैं। इसे ठीक करना चाहिए। सर, बिल या एक्ट पास करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसका सही implementation होना चाहिए। Health, WCD, legal support, police department, इन सारी एजेंसियों के समन्वय से सही काम हो सकता है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आप समाप्त कीजिए। आपके दूसरे वक्ता के लिए टाइम ही नहीं बचा।...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम : सर, मैं तो... बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। उन्नत राष्ट्र गठन के लिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : धन्यवाद। The next speaker is Shrimati Kahkashan Perween. पांच मिनट।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस बिल का समर्थन करती हूं। मैं इस बिल का समर्थन इसलिए करती हूं कि इस बिल से उन बच्चों के भविष्य जुड़े हुए हैं, जिनके साथ घटनाएं घटती हैं। इससे उन्हें इंसाफ मिलेगा और जो वहशी हैं, उनके लिए इसमें कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। माननीया मंत्री जी जो बिल लायी हैं, इसमें इनकी सोच यह रही:

"चाहती हूं कि कुछ ऐसा हो जाए,
वहशियों का हर किस्सा अब तमाम हो जाए।"

उन्हीं वहशियों के किस्से को तमाम करने के लिए यह बिल ये लायी हैं। इस बिल के उद्देश्य में माननीया मंत्री जी ने खुद स्वीकारा है कि वर्ष 2012 में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की जो रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक वर्ष 2012-13 में 44 प्रतिशत और वर्ष 2013-14 में 178.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसको रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। इसमें जो धाराएं हैं, उनमें से धारा 15 में भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। मैं उन सारी बातों की चर्चा नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है।

महोदय, यह बात सभी लोगों ने कही कि कानून सख्त बनाए जाएं और दोषियों को सज़ा मिले। मेरे ज़ेहन में एक सवाल उठ रहा था कि वर्ष 2012 में भी कानून बने और आज हम उसमें

[श्रीमती कहकशां परवीन]

संशोधन भी कर रहे हैं। आखिर हम कहां जा रहे हैं? हमारे समाज और शिक्षा में ऐसी क्या कमी रह गई है कि नैतिकता जैसे विषय पर आज हम कानून से ही लगाम लगाने की बात कर रहे हैं? हमारी नैतिकता के पाठ में कहां कमी रह गई है? माननीय मंत्री जी ने कल जब अपना मोशन मूव किया था, तब उन्होंने बताया था कि केरल में एक पिता ने अपनी बेटी के साथ गलत किया। आज हमारा रिश्ता ऐसा हो गया है कि हम अपनी बच्चियों को, हम अपने बच्चों को किसी के साथ नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा रिश्ता कहीं पाक नहीं रह पा रहा है। मुझे इसकी सबसे बड़ी वजह यह लगती है और यह कहा भी गया है कि जो भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलता है, उसका पतन होता है। हम कहीं न कहीं अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं।

अभी कुछ दिन पहले, सेशन के दरम्यान ही मैंने अख़बार में पढ़ा था और मैंने सोचा था कि इस बात को मैं सदन में उठाऊंगी, लेकिन उसको मैं उठा नहीं पाई। आज मुझे वह बात यहां उठाने का मौका मिला है कि कहीं एक स्कूल में छेड़खानी के मामले हुए, तो वहां के प्रिंसिपल साहब ने यह फैसला लिया कि सप्ताह में तीन दिन लड़कियों को और सप्ताह में तीन दिन लड़कों को पढ़ाया जाएगा। मैं यह पूछना चाहती हूं कि प्रिंसिपल साहब ने यह फैसला क्यों लिया? वे किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं? जो बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वे हमारे भविष्य हैं। जब भविष्य को ही इतना कमजोर कर दिया जा रहा है, तो फिर हम एक मजबूत इमारत कैसे खड़ी कर सकेंगे? मैं उस गुरु से पूछना चाहती हूं कि गुरुओं का काम अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना होता है, आप ऐसा निर्णय करके हमारे बच्चों को प्रकाश से अंधकार की ओर क्यों धकेल रहे हैं?

हमारे "भारत रत्न" डा. भीमराव अम्बेडकर साहब ने 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा के अपने आखिरी संबोधन में कहा था - *संविधान हमें तंत्र दे सकता है, हमें न्यायपालिका दे सकता है, विधायिका दे सकता है, कार्यपालिका दे सकता है, लेकिन जिन कारकों पर इसकी मजबूती निर्भर करेगी, वह नैतिकता जनमानस के रास्ते से गुजरेगी।* यह उन्होंने कहा था। अत: हम कह सकते हैं कि नैतिकता का विकास सफलता का अभिन्न अंग है। महोदय, यह ठीक बात है कि हम कानून बना लेते हैं और जो हर तरफ से मजबूत लोग होते हैं, वे कहीं न कहीं इसका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन दबे-कुचले लोगों का क्या होगा? जब कोई भी घटना शहर में घटती है, तो सोशल मीडिया में वह इस तरह से वायरल होती है कि सारे लोग इकट्ठे होकर उसका विरोध करते हैं, लेकिन गांव के दबे-कुचले लोग उसका विरोध नहीं कर पाते। उनके अंदर हम मजबूती कैसे लाएं? मैं माननीय मंत्री महोदया को एक सुझाव देना चाहती हूं। गांव की औरतें अख़बार नहीं पढ़ा करतीं।...(**समय की घंटी**)... महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है।

मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं एक बात यह कहना चाहती हूं, क्योंकि मैं छोटे शहर की हूं, मैंने गांव को बहुत करीब से देखा है, वहां हमने दबे-कुचले लोगों को बहुत करीब से देखा है, उनके यहां की औरतें न अखबार पढ़ती हैं और न ही टी.वी. चैनलों पर न्यूज़ देखती हैं, लेकिन मर्द सुबह चायखाने में या शाम को चायखाने में जाकर टी.वी. पर न्यूज़ देख लेते हैं या फिर अखबार की बातें जान लेते हैं, लेकिन औरतों तक, जिनके साथ घटनाएं घट रही हैं, उनको जानकारी कैसे होगी?

महोदय, एक सीरियल है, 'बालिका वधू', वह Colors channel पर आया करता था, जब उसकी समाप्ति होती थी, तो उसमें कोई न कोई कानूनी सलाह दी जाती थी। मैं माननीय मंत्री महोदया से कहती हूं कि हम जितने भी सख्त से सख्त कानून बना लें, लेकिन हम जब तक जागरूकता अभियान नहीं चलाएंगे, लोगों को सजग नहीं करेंगे और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को नहीं जगाएंगे, तब तक हम इस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते, इसलिए आप यह कीजिए कि आप Broadcasting मंत्रालय से बात करें और जितने भी धारावाहिक हों, चूंकि औरतें फिल्में नहीं देखती हैं, आज-कल ज्यादातर जो सास-बहू के serials आते हैं, उन्हें औरतें बहुत ज्यादा देखती हैं, आप ऐसा करें कि उन serials की समाप्ति के बाद हमेशा कानूनी सलाह दी जाए।...**(व्यवधान)**...

मैं आखिर में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि ऐसे समाज का निर्माण करना है, जहां कानून से समाज का नियंत्रण कम से कम हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका

†**محترمہ کہکشاں پروین (بہار)** : اُپ سبھا ادھیکش مہودے، سب سے پہلے میں اس بل کا سمرتھن کرتی ہوں۔ میں اس بل کا سمرتھن اس لئے کرتی ہوں کہ اس بل سے ان بچوں کے مستقبل جڑے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ گھٹنائیں گھٹتی ہیں۔ اس سے انہیں انصاف ملے گا اور جو وحشی ہیں، ان کے لئے اس میں کڑی سزا کا پراودھان کیا گیا ہے۔ مانئیہ منتری جی جو بل لائی ہیں، اس میں ان کی سوچ یہ رہی:

"چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا ہو جائے
وحشیوں کا ہر قصہ اب تمام ہو جائے"

انہیں وحشیوں کے قصے کم تمام کرنے کے لئے یہ بل، یہ لائی ہیں۔ اس بل کے مقصد میں مانئیہ منتری جی نے خود سویکارا ہے کہ سال 2012 میں راشٹریہ اپرادھ ابھیلیکھ بیورو کی جو رپورٹ تھی، اس کے مطابق 13-2012 میں 44 فیصد اور سال 14-2013 میں 6-178 فیصد کی وردّھی ہوئی ہے۔ اس کے روکنے کے لئے یہ قدم اٹھائے گئے ہیں۔ اس میں جو دھارائیں ہیں، اس میں سے دھارا 15 میں بھی سزا کا پراودھان کیا گیا ہے۔ میں ان ساری باتوں کی چرچا نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیوں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔

مہودے،یہ بات سبھی لوگوں نے کہی ہے کہ قانون سخت بنائے جائیں اور دوشیوں کو سزا ملے۔ میرے ذہن میں ایک سوال اٹھہ رہا تھا کہ سال 2012 میں بھی قانون بنے اور

†Transliteration in Urdu script.

[श्रीमती कहकशां परवीन]

آج ہم اس میں سنشودھن بھی کر رہے ہیں۔ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے سماج اور شکشا میں ایسی کیا کمی رہ گئی ہے کہ نیتکتا جیسے وشئے پر آج ہم قانون سے ہی لگام لگانے کی بات کر رہے ہیں؟ ہماری نیتکتا کے پاٹھہ میں کہاں کمی رہ گئی ہے؟ مانئیہ منتری جی نے کل جب اپنا موشن موو کیا تھا، تب انہوں نے بتایا تھا کہ کیرل میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھہ غلط کیا۔ آج ہمارا رشتہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، ہم اپنے بچوں کو کسی کے ساتھہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارا رشتہ کہیں پاک نہیں رہ پا رہا ہے، ہم نے ایک ویسا ماحول باحول بنا ہوا ہے۔ مجھے اس کی سب سے بڑی وجہ لگتی ہے اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ جو بھی اپنی سبھیئتہ اور سنسکرتی کو بھولتا ہے، اس کا پتن ہوتا ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں اپنی سبھیئتہ اور سنسکرتی کو بھولتے جا رہے ہیں۔

ابھی کچھہ دن پہلے سیشن کے درمیان ہی میں نے اخبار میں پڑھا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ اس بات کو میں سدن میں اٹھاؤں گی، لیکن اس کو میں اٹھا نہیں پائی۔ آج مجھے وہ بات یہاں اٹھانے کا موقع ملا ہے کہ کہیں ایک اسکول میں چھیڑ خانی کے معاملے ہوئے، تو وہاں کے پرنسپل صاحب نے یہ فیصلہ لیا کہ ہفتے میں تین دن لڑکیوں کو اور ہفتے میں تین دن لڑکوں کو پڑھایا جائے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پرنسپل صاحب نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ وہ کس طرح کا سماج نرمان کرنا چاہتے ہیں؟ جو بچے ان کے پاس پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں، وہ ہمارا مستقبل ہیں۔ جب مستقبل کو ہی اتنا کمزور کر دیا جا رہا ہے، تو پھر ہم ایک مضبوط عمارت کیسے کھڑی کر سکیں گے؟ میں اس گرو سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ گروؤں کا کام اندھکار سے پرکاش کی اور لے جانا ہوتا ہے، آپ ایسا فیصل کرکے ہمارے بچوں کو پرکاش سے اندھکار کی اور کیوں دھکیل رہے ہیں؟

ہمارے "بھارت رتن" ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے 25 نومبر، 1949 کو سنودھان سبھا کے اپنے آخری سنبودھن میں کہا تھا – *"سنودھان ہمیں تنتر دے سکتا ہے،*

ہمیں نیائے پالیکا دے سکتا ہے، ودھائیکا دے سکتا ہے، کارئے پالیکا دے سکتا ہے، لیکن جن کارکوں پر اس کی مضبوطی نربھر کرے گی، وہ نیتکتا جن-مانس کے راستے سے گزرے گی"۔ یہ انہوں نے کہا تھا۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیتکتا کا وکاس سفلتا کا ابھنّ انگ ہے۔ مہودے، یہ ٹھیک بات ہے کہ ہم قانون بنا لیتے ہیں اور جو ہر طرف سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن دبے کچلے لوگوں کا کیا ہوگا؟ جب کوئی بھی گھٹنا شہر میں گھٹتی ہے، تو سوشل میڈیا میں وہ اس طرح سے وائرل ہوتی ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہوکر اس کا ورودھ کرتے ہیں، لیکن گاؤں کے دبے کچلے لوگ اس کا ورودھ نہیں پاتے۔ ان کے اندر ہم مضبوطی کیسے لائیں؟ میں مانئے منتری مہودیہ کو ایک سجھاؤ دینا چاہتی ہوں۔ گاؤں کی عورتیں اخبار نہیں پڑھا کرتیں ...(وقت کی گھنٹی)...

مہودے، یہ بہت ہی سموِدن شیل مدعہ ہے میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرونگی، زیادہ وقت نہیں لونگی۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں، کیوں کہ میں گاؤں کی ہوں، جس گاؤں سے آتی ہوں، وہاں ہم نے دبے کچلے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ان کے یہاں کی عورتیں نہ اخبار پڑھتی ہیں اور نہ ہی ٹی وی چینلوں پر نیوز دیکھتی ہیں، لیکن مرد صبح چائے خانہ میں یا شام کو چائے خانہ میں جاکر ٹی وی پر نیوز دیکھ لیتے ہیں یا پھر اخبار کی باتیں جان لیتے ہیں، لیکن عورتوں تک، جن کے ساتھ گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں، ان کو جانکاری کیسے ہوگی؟

مہودے، ایک سیریل ہے، 'بالیکا ودھو'، وہ کلرس چینل پر آیا کرتا تھا، جب اس کی سماپتی ہوتی تھی، تو اس میں کوئی نہ کوئی قانونی صلاح دی جاتی تھی۔ میں مانیئے منتری مہودے سے کہتی ہوں کہ ہم جتنے بھی سخت سے سخت قانون بنالیں، لیکن ہم جب تک جاگروکتا ابھیان نہیں چلائیں گے، لوگوں کو سجگ نہیں کریں گے اور آخری پائیدان پر کھڑے شخص کو نہیں جگائیں گے، تب تک ہم اس سمسیا سے چھٹکارا نہیں پاسکتے،

[श्रीमती कहकशां परवीन]

اس لیے آپ یہ کیجئے آپ براڈکاسٹنگ منترالیہ سے بات کریں اور جتنے بھی دھاراواہک ہوں، چوں کہ عورتیں فلمیں نہیں دیکھتی ہیں، آج کل زیادہ تر ساس بہو کے سیریل آتے ہیں، انہیں عورتیں بہت زیادہ دیکھتی ہیں، آپ ایسا کریں کہ ان سیریل کی سماپتی کے بعد ہمیشہ قانونی صلاح دی جائے ...(مداخلت)... میں آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں کہ مہاتما گاندھی جی نے کہا ہے کہ ایسے سماج کا نرمان کرنا ہے، جہاں قانون سے سماج کا نیانترن کم سے کم ہو۔ انہیں باتوں کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Shri B. Lingaiah Yadav. He will speak in Telugu.

SHRI B. LINGAIAH YADAV (Telangana):* "Hon'ble Vice-Chairman Sir, on behalf of my party, I support the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019. Sir, it has been more than 70 years since we attained Independence and many people claim that we achieved development in various sectors. But, the truth is that, this country is in such a situation that it cannot prevent sexual offences, rapes and gang rapes against girl children. Sexual assault against children is the most heinous crime. Most of the children don't reveal or complain about sexual offences committed against them, either because they are afraid to reveal or they feel that they will not meet justice even if it is brought to the notice of the Government. Sir, data reveal that in the last six months *i.e.* from January to June, 24,000 children were subjected to rape. Even Supreme Court Judges were astonished with this fact. Though 24,000 girls were raped, police filed charge sheet only against 12,250 persons, enquiry is still pending in case of 11,981 persons and trial started against just 6,449 persons. Sir, through you I would like to bring to the notice that 24,000 persons were raped but cases were registered against 911 persons only *i.e.* 4 per cent of the accused. This shows the negligence of the Government. Under this Bill, pornography is considered as crime and I support this move. Stricter actions have to be taken against the persons committing such crimes and more stringent laws have to be formulated to penalise the guilty. Charge sheet should be filed within

*English translation of the original speech made in Telugu.

15 days, judgement should be delivered within 60 days and fast track courts should be established for the same. Offenders perpetrating sexual assault and rape should be served with more severe punishment. Punishment for the guilty committing such crimes should not be for ten or twenty years but it has to be enhanced to life imprisonment. Sir, through you, I request the Central Government to consider bringing a Bill to execute Capital Punishment in front of the general public so as to instil fear among others. Children who were subjected to rape are facing many social problems. 33 per cent of the rape victim children drop out of schools because of the questions posed to them in the Courts and the humiliation caused by their schoolmates. 14 per cent drop out among the victims is because of loss of interest in education and financial problems. 7 per cent drop out among victims is because of their ill health. Sir, nearly 81 per cent of the parents of the rape victims did not receive any financial support from the Government and the girls who are subjected to rape are facing immense problems because of lack of proper medical facilities. Most of the rape victims happen to be school dropouts. Hence, along with running schools with required infrastructure, the Government should also consider running schools in apartments and residential areas too for the benefit of the children." The salvation is rooted in the psychological concept of bettering woman. But, can deterrence prohibit the crime before it is committed? Deterrence theory in behavioural psychology talks about preventing or controlling actions of behaviour, though fear of punishment of retribution taken from this theory. We believe that higher probability of conviction, severity of punishment, and condemnation, can actually help deter crimes of this kind, Sir. "Though many laws are enacted in this country, they do not benefit the girl children. Hence, more stringent laws should be enacted to punish the persons who put the entire human race to shame by committing heinous sexual crimes. More severe punishments should be awarded to the culprits who behave like animals and threaten the very existence of human race." Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Your time is over. Next speaker, Shrimati Jharna Das Baidya.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Sir, I rise to speak on this very important Bill, the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019. Sir, the Bill has many provisions which need to be examined more closely, and then only, it is possible to come to a final conclusion. It is not possible in a short and hurried debate. I want to say that in April 2018, after widespread outrage over the Kathua rape case, the murder of eight year old child, the Government of India brought an Ordinance

[Shrimati Jharna Das Baidya]

amending the IPC to take child rape as a separate crime in the IPC, in addition under the Prevention of Children from Sexual Offences Act, 2012.

Sir, death penalty does not find any place in the POCSO Act. Sir, the Ordinance introduced death penalty for the rape of a girl below the age of twelve and provides for life imprisonment for the rape of girls between the age of twelve to sixteen. Sir, here, it is important to remember that the Supreme Court also disallowed the death penalty. And then, Sir, we have also seen the Verma Committee Report. The Verma Committee also disallowed the death penalty. तो मैं यह कहना चाहती हूं कि किस-किस को हम लोग punish करेंगे, किस-किस को फांसी पर लटकाएंगे - इतने सारे लोग हैं।

सर, मुझसे पहले ऑनरेबल मेम्बर श्रीमती जया बच्चन ने केसेज़ के संबंध में डेटा दिया है- इतने सारे केसेज़ हैं। सर, होता यह है कि जो poor हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो backward class के हैं, जो minority class के और poor people हैं वे लोग prosecutor को भी नहीं रख सकते हैं- वे भी राज़ी नहीं होते - वे लोग केस नहीं कर सकते, थाने में आकर एफआईआर भी नहीं कर सकते। अगर ऐसे केसेज़ हैं तो किसको फांसी पर लटकाएंगे? इसके लिए केवल death penalty की बात ही नहीं है, इसके लिए awareness की जरूरत है, counseling की जरूरत है।

महोदय, मैं इस बिल में एक और चीज़ जोड़ने के लिए माननीय मिनिस्टर से कहना चाहती हूं कि sectarian and communal violence and natural calamities को भी इस बिल में रखना चाहिए क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि जितनी भी बस्तियां हैं, जितने भी स्लम एरियाज़ हैं, उनमें ये घटनाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि उनकी कोई guarantee नहीं है, वे तो कुछ बोल भी नहीं सकते।...(**समय की घंटी**)... उनको threaten किया जाता है- जिनके पास पैसा होता है, वे पैसा देकर खरीद लेते हैं। कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होता।...(**समय की घंटी**)... इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि sectarian and communal violence and natural calamities को भी इस बिल में रखना चाहिए।

इसके अलावा मैं कहना चाहती हूं कि जो victim है, उसको counseling की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा counseling की जरूरत होती है। इसके लिए हमें थाने में भी कुछ प्रावधान करना चाहिए। हमें women's courts बैठाने चाहिए। महोदय, counseling के अलावा उनके rehabilitation की जरूरत होती है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनका rehabilitation नहीं हो पाता। इसलिए उनके rehabilitation की जरूरत है, उनके लिए compensation की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उनके लिए counseling की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो स्थिति में सुधार नहीं होगा क्योंकि जब तक समाज नहीं सुधरेगा, तब तक यह सब बंद नहीं होगा।

उपसभाध्यक्ष (**श्री भुवनेश्वर कालिता**) : धन्यवाद, अब समाप्त करिए।

श्रीमती झरना दास बैद्य : सर, मैंने देखा है कि एक पिता अपनी खुद की 12 साल की लड़की का बलात्कार कर देता है। वे लोग किसके पास जाएं? कौन उनके लिए कुछ करेगा, कौन उनके साथ खड़ा होगा, इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक पिता अपनी खुद की लड़की का बलात्कार कर देता है, एक भाई अपनी बहन का बलात्कार कर देता है तो भी कुछ नहीं होता है और वे आराम से घूमते हैं। ऐसे केसेज़ को देखते हुए मैं कहना चाहती हूं कि बुनियादी स्तर पर हमें यह चिंता करनी होगी। मैं आशा करती हूं कि मंत्री जी ऐसा करेंगी। सर, हमारी मिनिस्टर एक महिला हैं, इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि वे इसके ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देंगी, धन्यवाद।

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar) : Mr. Vice-Chairman, Sir, Susan Brownmiller wrote a Book, 'Men, women and rape' in 1975 whereby she argues that rape is "a conscious process of intimidation by which all men keep all women in state of fear." सर, चीज़ें बदली नहीं हैं। जो जन आक्रोश निर्भया के बाद पूरे मुल्क में हुआ था, मैं उससे वाकिफ हूं। उस जन आक्रोश में मेरी भी थोड़ी हिस्सेदारी थी। वह आक्रोश मेरे भी सीने में था। लेकिन कम-से-कम संसद को आक्रोश के लॉजिक को समझना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जस्टिस वर्मा ने भी कहा कि अगर मर्डर और रेप की एक ही सजा होगी, तो जो रेपिस्ट हे, वह विक्टिम को बचने नहीं देगा। अगर मेरी बच्ची के साथ कोई हादसा हो जाए, दुखद हादसा हो जाए, लेकिन मुझे अपनी बच्ची घर में वापस चाहिए। मंत्री महोदया, मैं सिर्फ यह सवाल रख रहा हूं। मैं सदन की राय के साथ जाऊंगा, लेकिन मुझे यह डर है कि यह डर मेरे अकेले का नहीं है। यह सिविल सोसाइटी के बहुत बड़े वर्ग का डर है। मैं उस साझा डर को आपके सामने रखने का काम कर रहा हूं। लगभग 95 प्रतिशत जो रेप होते हैं, उसमें आउटसाइडर्स नहीं, इनसाइडर्स involved होते हैं। चाचा, मामा, भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, known people होते हैं। पीड़िता को पता होता है कि वह कौन है। अपने घर के लोग हैं। हमें आने वाले दिनों में यह मुश्किल आएगी, सदन क्या तय कर रहा है क्योंकि मुझे आशंकाएं हैं। मैं सदन की राय के साथ हूं, लेकिन मैं अपनी आशंकाएं आपके समक्ष रख रहा हूं।

सर, दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई। उसमें माननीय जज ने कहा, "First, did you carry out any study about the scientific assessment of deterrence? Second, how many offenders will allow their victims to survive?" यह आशंका सिर्फ मेरी नहीं है, यह आशंका सिर्फ सिविल सोसाइटी की नहीं है, यह आशंका माननीय न्यायाधीश महोदयों की भी है और हम सबको एक बार इस आशंका का विश्लेषण करना चाहिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से एक बार आग्रह करूंगा, क्योंकि हम लोग कई चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। Muzaffarpur Shelter Home, जिसमें institutional pattern के तहत चीज़ें हो रही थीं और उसके बाद एक-एक करके कई और इलाकों से खबरें आईं। Sir, State is the custodian of shelter homes. मैंने खुद एक social

[Prof. Manoj Kumar Jha]

work के student के रूप में कुछ दिन shelter homes में काम किया। Shelter homes में भी एक बहुत बड़ा violation, abuse हो रहा है।

सर, मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। अगर वे उचित लगें, तो उनको incorporate कर लें। Social audit mandatory हो और वह social audit बच्चों के lived experience के साथ match करे। मैं समझता हूं कि social audit का काम independent agencies के हाथ में हो। सर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस तीस सेकेन्ड और लूंगा। Linking reports of children's periodic assessment with official report, linking every assessment report with validation from the children, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के अभाव में मुजफ्फरपुर और अन्य जगहों में वह हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। Positive memories create करने की कोशिश करें और सबसे ज्यादा due diligence staff जो recruit हो रहा है, उस काम को जल्दी करें। System strengthen करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि वह बहुत बड़ा आक्रोश था, जैसा मैंने कहा था। एक बार तय करना होगा कि क्या हम इस नतीजे पर सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं कि बाकी चीज़ें जो ज्यादा फौरी तौर पर आवश्यक हैं, system strengthen करना, witness protection, victim protection, उन सबके बारे में प्रयास हो, क्योंकि conviction rate लगतार कम हो रहा है और pendency बढ़ती जा रही है।...(**समय की घंटी**)... माननीय सर्वाच्च न्यायालय ने भी चिंता की है। बस इन्हीं बातों के साथ, मैं सदन से आग्रह करूंगा कि एक बार life imprisonment... सर, बहुत पीड़ा होती है, लोग चाहते हैं कि हो जाए। लेकिन यह देखना होगा कि इस life inprisonment clause के कारण हमारी बच्चियों के साथ ऐसी वारदातें न हो जाएं कि हम उन्हें वापस न पा सकें। शुक्रिया, सर, जय हिंद।

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to wholeheartedly support the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019.

Sir, first of all, I heartily associate myself with all suggestions and feelings passionately made and expressed by hon. Members, especially Shrimati Vijila, Shrimati Jaya Bachchan, Shrimati Kahkashan and others. There are several commendable provisions in this Bill. The first one says that if a person commits penetrative sexual assault, the Bill proposes to increase the punishment from 7 years to 10 years. Secondly, if a person commits penetrative sexual assault on a child below the age of 16, he is punishable with an imprisonment between 20 years and life and fine. This is, indeed, a welcome step. Sir, in the case of aggravated penetrative sexual assault, the Bill proposes to increase the minimum punishment from 10 years to 20 years and the maximum punishment is death penalty which is also entirely appropriate.

Sir, when it comes to pornographic offences, the punishment for using child for pornographic purposes, the punishment has been increased and it is welcome. However, I am somewhat surprised that it is not clear to me why use of child for pornographic purposes resulting in either sexual assault or aggravated sexual assault. Why is the punishment proposed to reduce from a minimum of 6 years to 3 years in a formal case and from maximum 8 years to maximum 5 years in a formal case?

Sir, 2012 Act penalizes storage of pornographic material for commercial purposes and prescribes punishment up to 3 years or a fine or both. This is again a welcome provision made.

Finally, I do not see in the Bill a provision for penalizing those perverts who force children to watch pornographic pictures or videos for their own sexual gratification. More often than not, Sir, such endeavours result into aggravated sexual assault or even penetrative sexual assault.

With these remarks and while emphasizing effective and time-bound implementation, I heartily commend and support the POCSO (Amendment) Bill, 2019. Thank you.

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा को सुन रहा हूं। जया बच्चन जी, कहकशां परवीन जी, आप सबने सही बोला है। यह दिल और भावना को छूने वाला विषय है। मैं प्रसून जोशी की एक कविता पढ़ रहा था, आपको भी उसके बारे में पता होगा। उन्होंने बच्चों के ऊपर यौन अपराधों से दुखी होकर कविता लिखी थी। प्रसून लिखते हैं,

"जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे,
जब मां की कोख से झांकती ज़िन्दगी,
बाहर आने से घबराने लगे,
समझो कुछ गलत है।
जब तलवारें फूलों पर ज़ोर आज़माने लगें,
जब मासूम आंखों में ख़ौफ़ नज़र आने लगे,
समझो कुछ गलत है।
जब किलकारियां सहम जायें,
जब तोतली बोलियां खामोश हो जाएं,
समझो कुछ गलत है।"

[**उपसभाध्यक्ष**, (**श्री टी.के. रंगराजन**) *पीठासीन हुए*]

मुझे लगता है कि यह जो गलत है, इसको दुरूस्त करने के लिए हमने पॉक्सो कानून में संशोधन लाने का प्रबंध किया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जया बच्चन जी, जैसा आपने कहा कि

[श्री संजय राउत]

कानून तो बनते हैं और कानून बनाए जाते हैं, लेकिन आप किस-किस के ऊपर नजर रखेंगे? पुलिस है और दूसरे बल हैं, लेकिन 10 साल की बच्ची को मां बनाया जाता है, कितना गंभीर अपराध है कि 10-10 साल की बच्चियों से रेप किया जाता है। अब आपने मृत्युदंड का प्रावधान किया है, ठीक है, लेकिन हम सबको शर्म आनी चाहिए कि हम इस समाज में रहते हैं और हम जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा और विश्वास रखते हैं, वे लोग ही ऐसे दुष्कर्म के साथ जुड़े हुए हैं।

महोदय, मैं देख रहा था कि कहां-कहां यौन शोषण की घटनाएं हुई हैं, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सभी प्रार्थना स्थलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं। ऐसी-ऐसी जगह, जहां नैतिकता और धर्म की बात कही जाती है, वहां ही सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं। भोपाल की घटना है, जो मदरसे में हुई। हैदराबाद की घटना है, वह भी मदरसें में हुई, पटना में मंदिर में ऐसी घटना हुई, बाल सुधार गृहों में ऐसी घटनाएं हुईं, केरल में चर्च के पादरी ने यह अपराध किया है, गुरुकुल में होती हैं और स्कूलों में ऐसी घटनाएं होती हैं। जहां सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है, जहां सबसे ज्यादा नैतिकता के पाठ हम पढ़ाते हैं, वहां अगर इस प्रकार के अपराध होते हैं, तो हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे, कानून क्या करेगा? हमारे बच्चे इन जगहों पर भी असुरक्षित हैं और हम चन्द्रयान पर जा रहे हैं, यानी चांद को छूने की बात होती है, लेकिन हिन्दुस्तान जो हमारा देश है, वह भारत देश कुख्यात देशों में है, जहां सबसे ज्यादा मासूमों के ऊपर दुराचार होते हैं।

महोदय, हमारे यहां चाइल्ड रेपिस्ट्स पैदा होते हैं, चाइल्ड रेपिस्ट्स नहीं, बल्कि सीरियल चाइल्ड रेपिस्ट्स पैदा होते हैं और हम सालों साल कानून बनाएंगे, फांसी की सजा का प्रावधान करेंगे, मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करेंगे। दिनांक 16 दिसम्बर, 2012 को निर्भया कांड हुआ। उसके बाद सारा देश सड़कों पर उतरा। उस मामले का निर्णय आने में पांच साल लगे, फिर रिव्यू पिटीशन, फिर मर्सी पिटीशन, यह खेल तो चलता रहता है। फांसी की बात आज नहीं की जा रही है, बल्कि मध्य प्रदेश, जो पहला राज्य है, जहां मदरसे में कांड हुआ था, वहां एक नाबालिग स्कूली लड़की के साथ, इस प्रकार की घटना हुई थी, तब वहां भी फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया था, लेकिन उस कानून के तहत आज तक किसी को फांसी नहीं हुई। कानून बनते हैं और कानून बनाए जाते हैं। जब हम विशेष न्यायालय की बात करते हैं, जब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करते हैं, तो हम यह भी देखें कि कब और कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं? मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए कम से कम 2,000 से भी ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की जरूरत है और उसके लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना पड़ेगा। आपने कानून बनाया, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने के लिए 1,000 या 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने में अभी आपको पांच साल और लगेंगे।

महोदय, दूसरी बात यह है कि आज कानून होने के बाद भी, यह जो सामाजिक और मानसिक विकृति है, यह कानून से ऊपर है। काउंसिलिंग होती है, सब होता है, लेकिन हमारे समाज में

जो शैतान पैदा हो रहे हैं, वह विकृति है और उसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा कि वे क्यों पैदा होते हैं? आपने चाइल्ड पॉर्न के बारे में एक अच्छा प्रावधान किया है और संशोधन करते हुए चाइल्ड पॉर्न की डेफिनेशन बनाई है। दुनिया के 40 देशों में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी दिखाने का सबसे बड़ा सेंटर दिल्ली में था। यहां से 40 देशों के लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते थे। अब चूंकि यह कानून बनेगा, तो मुझे लगता है कि आप इसके ऊपर काम कर सकेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा और बढ़िया अमेंडमेंट लाकर कानून बनाया है, लेकिन हम सबकी, समाज और सदन की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों की सुरक्षा करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके अमेंडमेंट और कानून का समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Thank you very much. Now, I call the next speaker.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Mr. Vice-Chairman, Sir, in the course of my observation, I inadvertently used 'death penalty', whereas I wanted to convey 'life imprisonment'. All other arguments remain the same, but, I inadvertently used 'death penalty'. Thank you so much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Thank you very much. The next speaker is Shri T.K.S. Elangovan. You have three minutes.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, this Bill was brought as a deterrent to certain crime. This is an Amendment Bill. The original Bill dates back to 2012. In the past seven years, the Government could not control this crime. Hence, they have to increase the punishment. Whether increasing the period of punishment will be a deterrent, whether five years' imprisonment is okay for the criminals/ offenders is the question. Why is this Government bringing this Bill when this Bill has not been effectively used for the past seven years? It is the Government agencies, the law makers and the police who have failed in booking the culprits in this case; that is what I understand. So, without making the police responsible, without making the children know their rights, and without registering complaints against such cases, it will be of no use. This Bill only increases the punishment. Beyond that, this Bill has done nothing. The original Bill is there and only one or two clauses have been added. One interesting thing is this. There is one amendment here, and I need a clarification from the Minister. It says, "In clause (s), for the words "communal or sectarian violence", the words "violence or during any natural calamity or in any similar situations" shall be substituted." Is there any reason for omitting the words, 'communal and sectarian' or the word 'violence' means both communal and sectarian? Why don't you add the words

[Shri T.K.S. Elangovan]

'communal and sectarian violence' alongwith the other words? What is wrong in this? If you want to protect a certain group, then, this is okay. So, it should be explicit. The other words should be added to the original words and not substituted by a single word. That you must understand. It should come from the schools. In Tamil language, we have many poems. Avvaiyar has written poems for the sake of children to teach them how to behave, what to do, teach them empathy towards others, friendliness and brotherhood. But, here, in our society, what has happened is that instead of empathy, that feeling of family, it has led to higher crimes, wrongful doings, like father doing something wrong with his own daughter. It has extended to that level, because the basic teachings are missing from the period of schools. We are going to movies. We are looking at many other things, but the basic thing is missing. So, it should start from the schools itself. Parents should be taught. As you know, in the movies, we project 'smoking is injurious to health', when somebody drinks, 'drinking is injurious to health', but, when there is a rape scene, nobody puts, "this is injurious to society". That kinds of things should be stopped. Mostly, television serials create a kind of hatred within the family. Mostly, these serials create hatred among the family members. The family system respecting elders, respecting our children, respecting our parents or grandparents is not there because of these television movies and other things. ...*(Time-bell rings)*...

So, while I welcome this Bill, I want to know from the Government what has happened in the past seven years and how many culprits have been booked. And, about this death sentence, we are not supportive of it. In any case, death sentence should be abolished. So, I want that the words 'death sentence' should be removed. There should not be a sentence in this Bill about it. I also want a clarification from the Minister about communal and sectarian violence. Thank you, Sir.

श्री शमशेर सिंह दुलो (पंजाब) : वाइस चेयरमैन सर, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। यह बड़ी चिंता का विषय है कि इस देश में जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, तो हादसे के बाद कानून में कोई न कोई चेंज लाने की कोशिश की जाती है। बच्चों के साथ, विमेन के साथ इस देश में बहुत क्राइम हुए हैं और हम सब देखते हैं कि ये क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। क्राइम बढ़ने के साथ-साथ कानून में तरमीमें भी होती जा रही हैं।

दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था और मैं समझता हूं कि उस कांड ने सारे देश को हिला कर रख दिया था। उसके बाद जम्मू-कश्मीर में, कठुआ में एक कांड हुआ था, जहां एक छोटी बच्ची के साथ इतने लोगों ने रेप किया था। इसी तरह हरियाणा में कांड हुआ था। मैं किस-

किस प्रदेश की बात करूं? देश बच्चों के प्रति, औरतों के प्रति जो sexual harassment किया जाता है, रेप किए जाते हैं, ऐसे मामलों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आप हर रोज़ अखबारों में पढ़ कर देख सकते हैं कि किस तरह से आए दिन इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह इस तरह के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। किस स्टेट में कौन राज करता है, कौन नहीं करता है, इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, हर तरफ इस तरह के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं, जो नोटिस में आ जाते हैं और रजिस्टर हो जाते हैं, लेकिन इस देश में सदियों से इस तरह के क्राइम होते रहे हैं। आज़ादी के बाद भी अगर हम देखें, तो खेतों में जो मजदूर काम कर रहे होते हैं, उनके बच्चों के साथ भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, ट्राइबल लोगों के साथ भी होती हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता है। आम तौर पर यह देखा गया है कि इस देश में कानून बड़े लोगों के हाथों में खेलता है, इसमें ज्यूडिशियरी भी शामिल है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिन गरीब लोगों के पास साधन नहीं हैं, पैसा नहीं है, उनको कानून की सहायता भी नहीं मिलती है। कागजों में कुछ और लिख दिया जाता है, होता कुछ और है। पिछले सालों में बच्चों के against बहुत ज्यादा क्राइम हुए हैं। आप देखें 2013-14 में तकरीबन 58,224 क्राइम हुए, 2014-15 में 79,473 क्राइम हुए, 2015-16 में 94,172 क्राइम हुए। बच्चों के साथ हुए क्राइम में, 18% केस ऐसे हुए हैं, जिनमें बच्चियों के साथ रेप हुए हैं। कानून में तरमीमें होती जाती हैं, लेकिन क्राइम फिर भी बढ़ता ही जा रहा है। चिंता का विषय यह है कि जो भी क्राइम करते हैं, उनको कानून का डर होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में उनके कोई डर नहीं है। भारत को छोड़कर अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, अबू धाबी है, दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या अन्य कंट्रीज़ हैं, वहां ऐसे क्राइम क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनका जो कानूनी सिस्टम है, वह बहुत सख्त है। जो क्राइम करता है, उसे चौक पर खड़ा करके गोली मार दी जाती है। यहां भी death penalty लिखी है।

सर, सवाल यह है कि सरकारें कोई भी हों, लेकिन उनका जो सिस्टम हो, उसके लिए उनमें will power होनी चाहिए। कागज़ों में या कानूनों में तरमीमें करने से बात नहीं बनती है। आज आप देश की आबादी देखो, किस तरह बढ़ती जा रही है। जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय इसकी आबादी 33-34 करोड़ थी, लेकिन अब 130 करोड़ से भी ऊपर चली गई है। आबादी इतनी बढ़ती जा रही है और उसके साथ-साथ में क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। झुग्गी-झोंपड़ियों में रोज़ क्राइम होते हैं। इसके सबसे ज्यादा शिकार Shelter Home हैं, जिन्हें हम सुधार गृह कहते हैं। हरियाणा में ऐसे मामले सामने आए, दूसरी जगहों पर क्राइम हुए। दिल्ली, जो देश की राजधानी है, यहां तो ऐसे क्राइम बहुत होते हैं। यहां निर्भया कांड हुआ, जम्मू-कश्मीर के एक मंदिर में भी ऐसा कांड हुआ। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन क्राइम्स को रोकने के लिए हमें सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। पुलिस स्टेशनों का हाल आपको पता है। जितने क्राइम होते हैं, उनके बारे में पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ. को पता होता है- चाहे वह ड्रग का मामला हो, मर्डर हो या कुछ भी हो। वहां तो हम सुधार गृह लिख देते हैं लेकिन जो इनकी मानसिकता

[श्री शमशेर सिंह ढुलो]

है, जो mindset है, पुलिस का जो रोल है, उसके साथ समाज का रोल भी जरूरी है। पेरेंट्स का रोल भी जरूरी है। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें छोटे-छोटे बच्चों को किडनैप करके उनसे भीख मंगवाई जाती है। देश में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के लिए आपने सजा का प्रावधान किया है, वह ठीक है, हम उसे सपोर्ट करते हैं, परन्तु सवाल यह है कि लोगों में इन क्राइम्स के प्रति जागरूकता पैदा करना भी जरूरी है। मीडिया का रोल तथा Whatsapp का रोल भी बहुत dangerous है। इससे भी कई घटनाएं हो जाती हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए विल पावर और NGOs के जरिए लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। जब तक लोगों में कानून का डर या भय न हो, क्राइम कम नहीं हो सकते, भले ही कानून कितने भी stringent बना दें। इन केसों को निपटाने के लिए Fast Track Courts भी जरूरी हैं। इन मामलों के लिए Special Courts बनने चाहिए। आज सदन में हम पुराने एक्ट में amendment लाकर व्यवस्था करने जा रहे हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे या लड़कियों के साथ अगर कोई दुष्कर्म करता है तो उसे फांसी की सजा होगी। मैं समझता हूं कि कानून बना देने या सजा का प्रावधान करने के बजाय लोगों में, समाज में, सोसायटी, NGOs में और कई दफा ऐसे मामलों में political दबाव डाला जाता है, ऐसी भी घटनाएं होती हैं, जैसे कई स्टेट्स में political तौर पर, जो ट्राइबल हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं, उन्हें फंसाने का काम होता है। यह political interference भी dangerous है। जब किसी दोषी को political support मिलता है, चाहे वह ruling party से हो या किसी नेता के जरिए, नेता लोगों को भी चाहिए कि वे अपने mindset को change करें, criminal लोगों को support करना बंद करें ताकि देश में अच्छे समाज की स्थापना हो सके। लोग हमें यहां किस लिए भेजते हैं? यहां आकर हम समाज का सुधार करेंगे।...**(समय की घंटी)**... लेकिन यहां हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। Political लोगों को भी इसे seriously लेना होगा और उनको criminal लोगों को support नहीं करना चाहिए, माफिया लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आजकल political interference बहुत बढ़ती जा रही है।

दूसरी बात यह है कि देश में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनमें conviction कितनी है? conviction बहुत कम है। इसके लिए Fast Track Courts and Special Courts बननी चाहिए, Special Judges नियुक्त होने चाहिए। जब तक देश में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, बच्चों के साथ क्राइम होते रहेंगे। दूसरे क्राइम भी बढ़ते जाएंगे। हमें चाहिए कि लोगों को मन में ऐसी भावना पैदा करनी चाहिए क्योंकि आजकल शरीफ आदमी को बिना कानून के पकड़कर कई-कई दिनों तक हवालातों में रखा जाता है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। हाई कोर्ट से अफसर आते हैं, वे ऐसे काम करते हैं। हमारे कानून गरीबों के लिए बने हैं, बड़े लोगों के लिए, gansters तथा दूसरे अपराधों के लिए कानून हैं।...**(समय की घंटी)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please conclude. I have to call the next speaker.

श्री शमशेर सिंह दुलो : अगर क्रिमिनल लोगों को political सपोर्ट देना बंद हो जाए तो शायद इस देश में क्राइम रुक सकते हैं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Thank you very much. Shri Ravi Prakash Verma.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं सभी माननीय सदस्यों का और माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, चूंकि उन्होंने इस देश को जगाने का काम किया है। जो लोग आंख मींचकर बैठे थे, उनको जगाने का काम किया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। सर, लगभग सारी बातें कही जा चुकी हैं। हमारे ही देश में हमारे ही बच्चे असुरक्षित हैं, इस बात को सोच कर भी दिल फटता है। यह बहुत बड़ी बात है, जिस पर हमें सोचना चाहिए। हमें जो sensitive, responsible और democratic temperament के सिटिज़न्स चाहिए थे, इस देश में इस तरह के नागरिक होने चाहिए थे, जिनके बारे में बात होती, बजाय उसके आज जो नागरिकता का स्तर है, वह पशुता के ज्यादा नजदीक जा रहा है और इसीलिए वे समस्याएं पैरा हो रही हैं। कानून सख्त है, तारीफ के लायक है, लेकिन जो execution है... मेरे पास भी वे आंकड़े हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा कि जो ट्रायल हो रहा है, वह time-bound नहीं है, investigation time-bound नहीं है, conviction एक परसेंट है, जो बहुत कम है और इसके लिए मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को रूल्स में स्पेशल प्रावधान करना चाहिए।

जहां तक compensation का सवाल है, मैं सिर्फ दिल्ली का बता दूं, यहां पर 80 परसेंट से भी ज्यादा victims को कोई compensation नहीं मिला है और केवल एक परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनको properly compensation मिल पाया है। सबसे खराब चीज यह है कि हमारा पूरा सिस्टम उसको address कर रहा है, लेकिन दवा मिल नहीं पा रही है। हमारी आदरणीय जया जी ने इस बात का जिक्र किया था, मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि सारे organs को, सारी एजेंसियों को सही रास्ते पर लाने के लिए एक National Children Tribunal बनाने की मेहरबानी कीजिएगा, जो independently function करे और बच्चों के जितने भी इश्यूज़ हैं, उनमें जितने भी loose ends हैं, उनको ला करके independently काम करे। उनको ला करके सही दिशा में पहुंचाने का काम करे।

सर, हमारे पास labs भी नहीं हैं, जो forensic laboratory होती है, अभी इसमें प्रावधान है कि तत्काल ही उसका forensic investigation होना चाहिए। मेरा यही कहना है, अभी यह बात कही जा रही थी कि कम से कम एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जो सपोर्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसको बनाने के लिए चाहिए होगा। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम एक child-sensitive society और child-sensitive system बनाने का काम करें और इसके साथ ही child-sensitive policing भी साथ में हो, तो मुझे लगता है कि इस बात का फर्क पड़ेगा।...(**समय की घंटी**)...

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

सर, अंत में यह कहना है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से पुलिस काम करती है, वह सोसाइटी को assess करती है, लेकिन यहां हालत यह है कि पुलिस सोसाइटी को assess नहीं करती है, बल्कि यह सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। शायद यही धोखा है और यही धोखा होने से आज हालत यह है कि क्राइम का रेट बढ़ता चला जा रहा है। जब समाज नियंत्रित नहीं करेगा, खाली पुलिस समाज को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी, तो कभी समाधान नहीं निकलेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please conclude.

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से भी और हमारे आने वाले सभी सदस्यों से भी कि हमें बहुत ही sensitive, बहुत ही responsible और democratic citizens चाहिए, इस पर गौर कीजिएगा, शायद इससे कोई आशा की किरण पैदा होगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN: Shri Sasmit Patra, you have one minute only.

SHRI SASMIT PATRA (Odisha): Mr. Vice-Chairman, Sir, today is my maiden speech. Since it is my maiden speech, I look forward to the generosity of yours in terms of time allocation and I am sure you will provide that in my maiden speech. So, thank you so much. I am sorry for pushing you, right in the start. But, primarily, as I stand today to speak on my maiden speech, it is extremely ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN) : No, you make your maiden speech next time. You just try to conclude within three minutes. ...*(Interruptions)*... The Chair will will permit you to make your maiden speech next time. ...*(Interruptions)*... Now, this is not your maiden speech. You take three minutes or four minutes.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra) : Sir, normally five minutes minimum would be provided. ...*(Interruptions)*... Last time the hon. Chairman agreed to it. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN: I agree.

SHRI SASMIT PATRA: Let me start, Sir, and, probably, as I proceed, I will finish in time. Sir, primarily, as I rise to speak about the POCSO (Amendment) Bill, I do that in two roles -- I do that in the role of a Member of this House and I also do that in the role of a father of two children. Somewhere as I try to traverse both these roles, one thing is very clear that this Amendment Bill is a welcome Amendment.

And, the Amendments that have been made are extremely crucial in taking forward and strengthening the POCSO Act in itself. Sir, if you look at the NRCB, 2016 Report, the cases registered under this Act between 2012 and 2013 have seen a rise of 44.2 per cent and if we were to look at the rise of cases registered under this Act between 2013 and 2014, we find that there has been an increase of 178 per cent. It requires no further justification to understand that this kind of an Amendment is extremely crucial. But, as the speakers before me have already said, that deterrence is going to be the key to the execution of this amendment or the success of the Act in itself. That in itself requires strong convictions. Without conviction and without exemplary conviction, make it an example where people can look up and see that this is an example of an exemplary punishment. Till such things happen, we may keep on strengthening the Act, we may keep on strengthening the amendments, but, we will not have the desired results. Having said that, I quickly go into the merits of the Amendment Bill. Firstly, the definition of Child Pornography has been brought in. It is a very welcome step. But, I would like to add to it that there are specific terms such as 'depict' that has been used in the definition. It is again subject to a lot of interpretations that can be used. So, probably the Government and the hon. Minister could look at it in terms of how these definitions could be more close-ended so that inferences and interpretations of the same may not happen. The second is in terms of Clause 4 where the term of imprisonment has been increased to not less than twenty years. It is a welcome step. In terms of sub-clause (2), there is a specific mention that the fine should be just and reasonable. I do not understand how can a fine which is being levied on an offender be termed as just and reasonable. It should be stringent and exemplary. Therefore, this concept of providing justice to a victim would be probably minimised, if we were to say, 'the fine is just and reasonable'. Obviously, it has to be stringent and it has to be exemplary. Thirdly, in terms of medical attention, where the expenses from this fine would be paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victims, I would like to say that by the time the ruling comes in, the immediate medical attention and other costs would have already surpassed. Therefore, the Government should take complete responsibility of ensuring that the medical expenses are borne till such time. And, fourthly, about the terms of rehabilitation, I would like to say 'can we be more human'! Can we be more human in terms of specifying it as meeting physical, social, mental and emotional needs of the victim, rather than only terming it as rehabilitation! Sir, in Clause 5 (ii) which has already been referred to by same Members regarding the issue of communal and

[Shri Sasmit Patra]

sectarian violence, I think if we could add the word 'any', that by itself would ensure and encompass the issues of sectarian, communal and any other violence in this regard rather than specifying it probably. In terms of the death penalty that has been mentioned, if we were to really look at it, the Supreme Court's Judgment in Macchi Singh *vs.* State of Punjab and Devender Pal Singh vs. State of Delhi, have already clarified that when the collective conscience of the community is shocked, only at the rarest of rare cases would such penalty be exercised. Therefore, it is a necessity. It should be there for the rarest of rare cases where the collective conscience... ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Thank you. Please conclude.

SHRI SASMIT PATRA: Sir, in conclusion, there are a couple of aspects that I would like to say. Sir, regarding Section 15, which talks about five thousand and ten thousand rupees as fine for people who have an intention, as it says, have an intention to share or transmit child pornography, I think, five thousand and ten thousand amount of fines do not justify the kind of act that is being done. Therefore, the Government would do well to probably revisit the fine and the provision regarding that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Thank you, please conclude.

SHRI SASMIT PATRA: Sir, I will just take one minute and conclude. There are various provisions that are there in terms of Chapters that are being made. Finally, Sir, let me tell you, in terms of Chapters 5, 6 and 7, procedure of reporting cases, recording of statements, special courts and recording of evidence, those are also extremely crucial Chapters that need to be visited, and punishment is one of the aspects. But the other ancillary aspects, which are going to strengthen and foster and help the victim during the process of investigation, are equally or more importantly required. Therefore, I would urge upon the Government, through you, to look at all these aspects and provide a very strong and powerful Amendment, but at the same point of time, ensure that mentoring, counseling and the kind of social fabric support that is required for a victim are also provided. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Now, Shri Nazir Ahmed Laway. You have three minutes.

श्री नज़ीर अहमद लवाय (जम्मू-कश्मीर) : वाइस चेयरमैन साहब, मैं इस बिल के समर्थन में हूं। जैसा कि the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019, जो हमारी मिनिस्टर साहिबा लायी हैं, मैं इसके समर्थन में बोल रहा हूं। इसमें जो ऐक्ट है- 'penetrative sexual assault', 'aggravated penetrative sexual assault', 'pornographic' और इसमें जो भी

अमेंडमेंट्स हैं, वे हमारी मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा इसलिए लेकर आयी हैं, क्योंकि देश में गर्ल चाइल्ड के साथ दो मर्डर्स होते हैं। अगर देश में कोई मर्डर होता है, तो वह one murder होता है, लेकिन जिस बच्ची के साथ रेप किया जाता है, that is double murder. मेरा यह मानना है कि देश में जिस क्राइम के लिए सबसे जबर्दस्त और सख्त सज़ा हो और जिसके लिए कानून सख्त होना चाहिए, वह इसके लिए होना चाहिए। एक तो she is murdered for her life और दूसरा, her family, her relatives and the entire social fabric is murdered. इसलिए यह double murder है। इस double murber के लिए जो भी केस फाइल होगा, मैं उसके साथ हूं। आज मुझे अपनी मां याद आ रही है। जब हमारी लेडी एमपीज़ अपनी बातें बता रही थीं या जेन्ट्स एमपीज़ बता रहे थे, तब मुझे अपनी मां याद आ रही थी। आज मेरी मां नहीं है, लेकिन वह मुझे आज याद आई, क्योंकि आज मैं अपनी मां की इज्जत के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में जो लाखों माँएं हैं, आज मैं यहां उनके लिए खड़ा हूं, चाहे वे आज दुनिया में नहीं हैं। क्योंकि वही बच्ची हमारी मां है, चार साल की वही बच्ची हमारी कल की मां है। मेरी मां ने मुझे भी जन्म दिया है और आज मैं यहां हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, यह देश के सामने है। लिहाज़ा, मेरी गुज़ारिश है कि जो एमपीज़ कहते हैं कि इसमें फांसी नहीं लगनी चाहिए- जम्मू कश्मीर का निवासी होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि जम्मू-कश्मीर में इतना मामला नहीं है, जितना बाकी देश में है। हमारे वहां कठुआ में जो रेप हुआ, उसके लिए आज जम्मू-कश्मीर का एक-एक नागरिक पूछ रहा है कि उनको कब फांसी लगेगी, क्योंकि हमारे स्टेट में यह मामला नहीं है। इसीलिए, देश में जहां भी यह मामला है, वहां की एक-एक बच्ची मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, 16 साल की बच्ची मेरी बेटी है। मुझे लगता है कि इसके लिए ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए, जो देश में सबसे अज़ीम हो, सबसे strong हो, ताकि वह जज के सामने खड़ा रहे और इसमें खासकर पीड़ित को सुनना चाहिए, ताकि वह अपने दिल की बात कहे। इसके बाद, अगर वह sexual harassment में मारी गई, तो उसका उत्तराधिकारी उसका बाप होना चाहिए, उसकी मां होनी चाहिए, उसका भाई होना चाहिए, जो कि उसके खून के संबंधी हैं। लेकिन, अगर कानून बनता रहेगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो यही होता रहेगा।...(**समय की घंटी**)...

सर, मेरी गुज़ारिश है कि जहां कहीं किसी far-flung areas में ऐसे केसेज़ होते हैं, वहां पुलिस के बगैर, जो District Magistrate है, being from a militancy-affected State, यह मेरा experience है, वहां District Magistrate जवाबदेह होना चाहिए, ताकि अगर फलां जगह छ: महीने बाद पता चलता है कि रेप हुआ है, तो उससे पूछा जा सके कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसके लिए वह जवाबदेह होना चाहिए। वहां जो concerned officer हो, वह जवाबदेह होना चाहिए, तब यह रुकेगा, definitely रुकेगा। जैसा कि पंजाब के हमारे एमपी साहब ने कहा कि बाकी देश में यह क्यों नहीं होता? वहां फांसी पर क्यों लटकाया जाता है, यहां क्यों नहीं लटकाया जाता है? It is a shame for our country, अगर हम इन लोगों को फांसी पर नहीं लटकाएंगे। लिहाज़ा, मेरी आपसे गुज़ारिश है कि मैं एक बाप हूं, मेरी एक बेटी है, जिसकी उम्र अभी 22 साल है, क्या पता उसके साथ कल क्या हो। मेरी गुज़ारिश है कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ किया जाए और इस कानून को सख्त से सख्त बनाया जाए। आज हमारी मिनिस्टर साहिबा, जो कि एक मां हैं और अपनी बेटी के लिए कानून बना रही हैं, मुझे उन पर फख्र

[श्री नज़ीर अहमद लवाय]

है।...(**व्यवधान**)... ...(**समय की घंटी**)... मेरी गुज़ारिश है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो और पूरी कार्रवाई हो। Thank you very much.

† **جناب نذیر احمد لوائے (جموں–کشمیر) :** وائس چیئرمین صاحب، میں اس بل کے سمرتھن میں ہوں۔ جیسا کہ the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019, جو ہماری منسٹر صاحبہ لائی ہیں، میں اس کے سمرتھن میں بول رہا ہوں۔ اس میں جو ایکٹ ہے - 'penetrative sexual assault', 'aggravated penetrative sexual assault', 'pornographic purposes' اور اس میں جو بھی امینڈمینٹس ہیں، وہ ہماری محترمہ منسٹر صاحبہ اس لئے لے کر آئی ہیں، کیوں کہ دیش میں گرل چائلڈ کے ساتھہ دو مرڈرس ہوتے ہیں۔ اگر دیش یمں کوئی مرڈر ہوتا ہے، تو وہ ون-مرڈر ہوتا ہے، لیکن جس بچی کے ساتھہ ریپ کیا جاتا ہے، ڈیٹ از اے ڈبل مرڈر۔ میرا یہ ماننا ہے کہ دیش میں جس کرائم کے لئے سب سے زبردست اور سخت سزا ہو اور جس کے لئے قانون سخت ہونا چاہئے، وہ اس کے لئے ہونا چاہئے۔ ایک تو، she is murdered for her life اور دوسرا، her family, her relatives and the entire social fabric is murdered. اس لئے یہ ڈبل مرڈر ہے۔ اس ڈبل مرڈر کے لئے جو بھی کیس فائل ہوگا، میں اس کے ساتھہ ہوں۔ آج مجھے اپنی ماں یاد آرہی ہے۔ جب ہماری لیڈیز ایم۔پیز اپنی باتیں بتا رہی تھیں یا جینٹس ایم۔پیز بتا رہے تھے، تب مجھے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ آج میری ماں نہیں ہے، لیکن وہ مجھے آج یاد آئی، کیوں کہ آج میں اپنی ماں کی عزت کے لئے کھڑا ہوں، چاہے وہ آج دنیا میں نہیں ہے۔ کیوں کہ وہی بچی ہماری ماں ہے، چار سال کی وہی بچی ہماری کل کی ماں ہے۔ میری ماں نے مجھے بھی جنم دیا ہے اور آج میں یہاں ہوں، لیکن میں کیا کر رہا ہوں، یہ دیش کے سامنے ہے۔ لہذا، میری گزارش ہے کہ جو ایم۔پیز کہتے ہیں کہ اس میں پھانسی نہیں لگنی چاہئے – جموں-کشمیر کا شہری ہونے کے ناطے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جموں-کشمیر میں اتنا معاملہ نہیں ہے، جتنا دیش میں ہے۔ ہمارے وہاں کٹھوا میں جو ریپ ہوا،

†Transliteration in Urdu script.

اس لئے آج جموں-کشمیر کا ایک-ایک شہری پوچھ رہا ہے کہ ان کو کب پھانسی لگے گی، کیوں کہ ہمارے اسٹیٹ میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ اسی لئے، دیش میں جہاں بھی یہ معاملہ ہے، وہاں ایک ایک بچی میری بچی ہے، میری بیٹی ہے، 16 سال کی بچی میری بیٹی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس لئے ایسا کوئی قانون بنایا جانا چاہئے، جو دیش میں سب سے عظیم ہو، سب سے اسٹرونگ ہو، تاکہ وہ جج کے سامنے کھڑا رہے اور اس میں خاص کر متاثرہ کو سننا چاہئے، تاکہ وہ اپنے دل کی بات کہے۔ اس کے بعد، اگر وہ sexual harassment میں ماری گئی تو اس کا اتّرادھکاری اس کا باپ ہونا چاہئیے، اس کی ماں ہونی چاہئیے، اس کا بھائی ہونا چاہئیے، جو کہ اس کے خون کے لاڈلے ہیں۔ لیکن، اگر قانون بنتا رہیگا اور کوئی کارروائی نہیں ہوگی، تو یہی ہوتا رہے گا۔ ...(وقت کی گھنٹی)... سر، میری گزارش ہے کہ جہاں کہیں کسی far-flung areas میں ایسے کیسیز ہوتے ہیں، وہاں پولیس کے بغیر، جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے، being from a militancy-affected State یہ میرا experience ہے، وہاں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جوابدہ ہونا چاہئیے، تاکہ اگر فلاں جگہ چھ مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ ریپ ہوا ہے، تو اس سے پوچھا جاسکے کہ اس پر کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اس کے لیے وہ جوابدہ ہونا چاہئیے۔ وہاں جو concerned officer ہو، وہ جوابدہ ہونا چاہئیے، تب یہ رکے گا، definitely رکے گا۔ جیسا کہ پنجاب کے ہمارے ایم پی صاحب نے کہا کہ باقی دیش میں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں پھانسی پر کیوں لٹکایا جاتا ہے، یہاں کیوں نہیں لٹکایا جاتا ہے؟ It is a shame for our country, اگر ہم ان لوگوں کو پھانسی پر نہیں لٹکائیں گے۔ لہذا، میری آپ سے گزارش ہے کہ میں ایک باپ ہوں، میری ایک بیٹی ہے، جس کی عمر ابھی بائیس سال ہے، کیا پتہ اس کے ساتھ کل کیا ہو۔ میری گزارش ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ انصاف کیا جائے اور اس قانون کو سخت سے سخت بنایا جائے، آج ہماری

[श्री नज़ीर अहमद लवाय]

منسٹر صاحبہ، جو کہ ایک ماں ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے قانون بنارہی ہیں، مجھے ان پر فخر ہے ---(مداخلت)--- ---(وقت کی گھنٹی)---

میری گزارش ہے کہ اس پر فوراً ایکشن ہوگا اور پوری کارروائی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Now, Shri Kanakamedala Ravindra Kumar. You have three minutes.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I am very glad that you have permitted me to participate in the discussion on a very important Bill. The aim of the Bill is to punish those who commit heinous crimes against girls and children. The brutality with which the girls and children are assaulted came to light in the Nirbhaya case. The Government went to the extent of transporting the victim to a foreign country by air ambulance. Sir, that was the cruelty meted out to the Nirbhaya victim. Sir, this amendment seeks to impose severe punishment on a person who is committing the sexual assault. There are categories of punishment; penetrative sexual assault, aggravated penetrative sexual assault, aggravated sexual assault, storage of pornography material, etc. Now, coming to the legislation, mere legislation or an enactment is not sufficient. We will have to see that there is effective implementation of the provisions which are proposed to be amended through this Bill. Sir, an offence committed against girl child has to be treated as rarest of the rare case. Sexual abuse of children has to be controlled at any cost. Sir, awarding stringent punishments, certainly will be a deterrent for perpetrators of such offences. But, the Bill defines child pornography. Sir, the proposed amendment of Section 15 says that in the event of second or subsequent offence, with fine which shall be not less than ten thousand rupees and imprisonment of three years, or with fine, or with both. My practical experience is, when there is a provision for fine, Courts take a lenient view about fine because of prolonged litigation. Therefore, I request the hon. Minister to look into it and see to it that some minimum punishment is there instead of fine. For this purpose also, fine is not sufficient; a punishment should be there. The other aspect is consent. The main issue is that there are thousands of unreported cases in the country. The offences against children are increasing day by day and year after year. The first stage is reporting the matter to the police and registering the FIR of the case by the police. Subsequently, there should be investigation by the police, arrest of the culprits and filing of the charge sheet. Though,

several hundreds and thousands of cases are being registered, in more than one-fifth cases, no charge sheet has been filed. The police are delaying the investigation. The cases are delayed for many years without filing any charge sheet. In the absence of charge sheets, the court may not proceed with the trial. Sir, another aspect is the huge pendency of cases. Many of the special cases have not been disposed off. Therefore, ...*(Time-bell-rings)*... the constitution of special courts and fast track courts is required for the offences committed under POCSO Act. Likewise, the Government used to give compensation to the victims. Sir, apart from compensation, rehabilitation should also be there. It was not mentioned in the Act. There was no such provision at all. Sir, the concerned Ministry has to monitor the investigation for speedy disposal of the cases and also charge sheet has to be filed. Unless monitoring is there, the charge sheet may not be filed by the police...*(Time-bell-rings)*... The police have not filed the charge sheet in thousands of cases. Many cases are pending till now, where the offences were committed more than two years back. Sir, I thank you very much for giving me this opportunity.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 24th July, 2019"

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

GOVERNMENT BILL — *Contd.*

The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। पहले तो मैं अपनी मंत्री महोदया को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं बोलने के लिए बहुत कुछ लाई थी और सोचकर भी बहुत कुछ आई थी। मैं अपने प्रधानमंत्री जी और केन्द्रीय महिला एवं बाल